सत्यमेव जयते

# लेखे एक नज़र में
# 2023-24


## महालेखा नियंत्रक
### व्यय विभाग
### वित्त मंत्रालय

# लेखे एक नज़र में 2023-24

## विषय सूची

| | |
|---|---|
| भूमिका | 3 |
| विहंगावलोकन | 4 |
| बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण | 10 |
| वित्तीय विवरण | 14 |
| प्राप्तियां | 17 |
| व्यय | 21 |
| ऋण और अन्य देयताएं | 24 |
| विनियोग लेखे | 29 |
| शब्दावली | 33 |
| परिशिष्ट | 39 |
| 1. दस वर्षीय सारांश | 40 |
| 2. करेतर राजस्व | 42 |
| 3. वाणिज्यिक प्राप्तियां | 43 |
| 4. मुख्य स्कीमों पर व्यय | 44 |
| 5. मुख्य मदों पर व्यय | 46 |
| 6. वेतन और भत्तों का व्यय | 48 |
| 7. सहायिकियों का विवरण | 56 |
| 8. मंत्रालयों/विभागों का व्यय | 59 |
| 9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा | 74 |
| 10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग | 75 |
| 11. वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे का सारांश | 81 |
| 12. वर्ष 2023-24 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय | 90 |

# लेखे एक नज़र में
# 2023-24

## भूमिका

'लेखे एक नज़र में' संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक-सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा-लेखापरीक्षित ब्योरे-वार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

महालेखा नियंत्रक संघ सरकार के लेखों के समेकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिनमें संघ के वित्त और विनियोग लेखे शामिल होते हैं, को संसद के समक्ष उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 92 अनुदान) शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा-अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

# विहंगावलोकन

## प्राप्ति, व्यय और घाटा

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्राप्तियां (ऋण प्राप्तियों सहित) ₹44,43,447 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्ति ₹34,65,519 करोड़ थी, जिसमें से ₹11,29,494 करोड़ (सकल का 33%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹23,27,251 करोड़ था। कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹27,88,804 करोड़ थी, जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹16,54,643 करोड़ का अंतर था जिसे वर्ष 2023-24 के दौरान उधारों के माध्यम से पूरा किया गया है।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹44,43,447 करोड़ था, जिसमें से, राजस्व व्यय ₹34,94,252 करोड़ (79%) और पूंजीगत व्यय ₹9,49,195 करोड़ (21%) था। वर्ष 2023-24 में व्यय ₹41,93,157 करोड़ से 6% बढ़ गया था।

### वित्तीय विशेषताएं 2023-24
(₹ करोड़)

| | विवरण | संशोधित अनुमान* 2023-24 | वास्तविक 2023-24 | वास्तविक 2022-23 | वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राजस्व प्राप्तियां** | **26,99,713** | **27,29,036** | **23,83,207** | **15%** |
| 2 | कर राजस्व (केन्द्र को निवल) | 23,23,918 | 23,27,251 | 20,97,786 | 11% |
| 3 | करेतर राजस्व | 3,75,795 | 4,01,785 | 2,85,421 | 41% |
| 4 | **पूंजीगत प्राप्तियां** | **56,000** | **59,768** | **72,196** | **-17%** |
| 5 | कर्जों की वसूलियाँ (निवल) | 26,000 | 26,646 | 26,161 | 2% |
| 6 | अन्य प्राप्तियां | 30,000 | 33,122 | 46,035 | -28% |
| 7 | **कुल प्राप्तियां (1+4)** | **27,55,713** | **27,88,804** | **24,55,403** | **14%** |
| 8 | **राजस्व व्यय** | **35,40,239** | **34,94,252** | **34,53,132** | **1%** |
| 9 | जिसमें से ब्याज अदायगियाँ | 10,55,427 | 10,63,872 | 9,28,517 | 15% |
| 10 | जिसमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान | 3,21,190 | 3,03,916 | 3,06,264 | -1% |
| 11 | **पूंजीगत व्यय** | **9,50,246** | **9,49,195** | **7,40,025** | **28%** |
| 12 | **कुल व्यय (8+11)** | **44,90,486** | **44,43,447** | **41,93,157** | **6%** |
| 13 | राजस्व घाटा (8-1) | 8,40,527 | 7,65,216 | 10,69,925 | -28% |
| 14 | प्रभावी राजस्व घाटा (13-10) | 5,19,337 | 4,61,300 | 7,63,661 | -40% |
| 15 | **राजकोषीय घाटा (12-7)** | **17,34,773** | **16,54,643** | **17,37,754** | **-5%** |
| 16 | प्राथमिक घाटा (15-9) | 6,79,346 | 5,90,771 | 8,09,237 | -27% |

\# ब्यौरे के लिए पृष्ठ सं. 11 देखें।

*1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।

2. तुलना के लिए वर्ष 2023-24 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल प्राप्तियां ₹12,41,424 करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹34,65,519 करोड़ (2023-24) हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष (2023-24) के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 11.50% था। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10.86% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.42% रहा। करेतर राजस्व वर्ष (2014-15) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.56% से घटकर वर्ष (2023-24) में 1.33% हो गया।

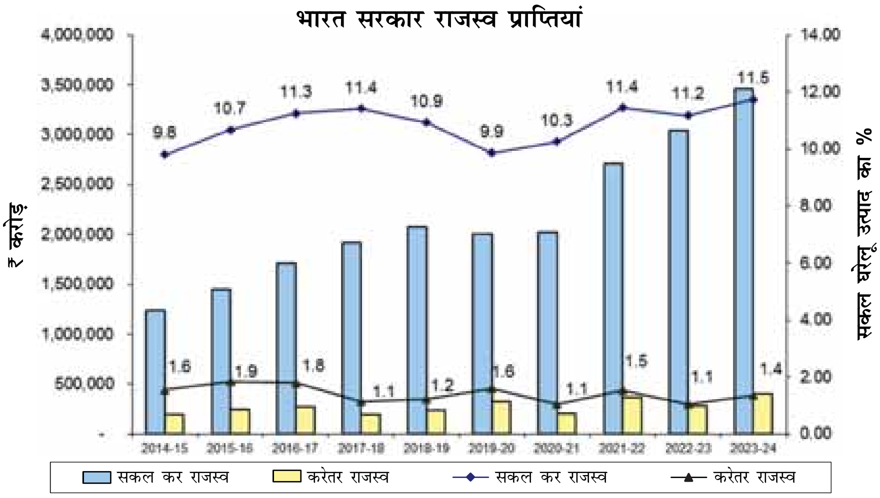


पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में कमी आई है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष के 12.68% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 11.60% था। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.15% था।

वर्ष 2014-2024 के दशक के दौरान, राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 12.10% और पूंजीगत व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 2.07% था। साथ ही, वर्ष 2023-24 में, अंतिम अनुदान में प्रदान किया गया सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) ₹97,09,063 करोड़ था। वास्तविक सकल व्यय ₹81,41,054 करोड़ था, जिससे ₹15,68,009 करोड़ की बचत हुई।

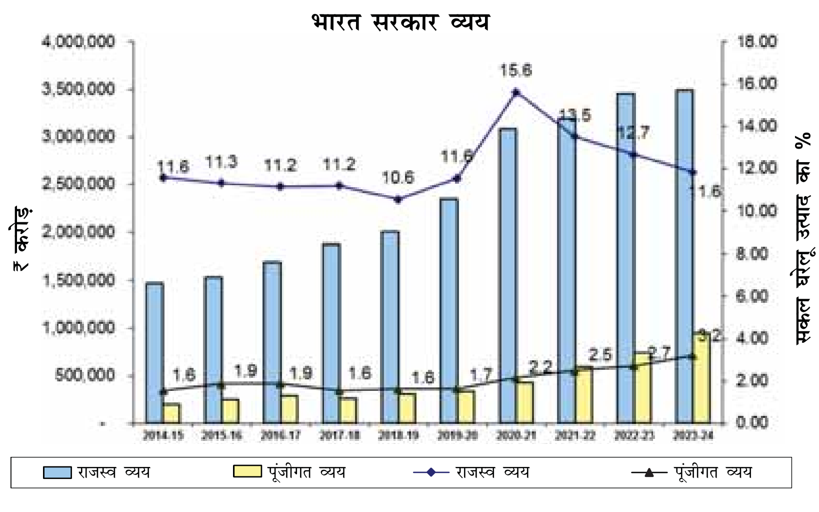


* वर्ष 2023-24 का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर ₹301.23 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनुमानों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्र सरकार की प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 63% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। जिससे ₹16,54,643 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष का राजस्व घाटा ₹7,65,216 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.49% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.54% था।

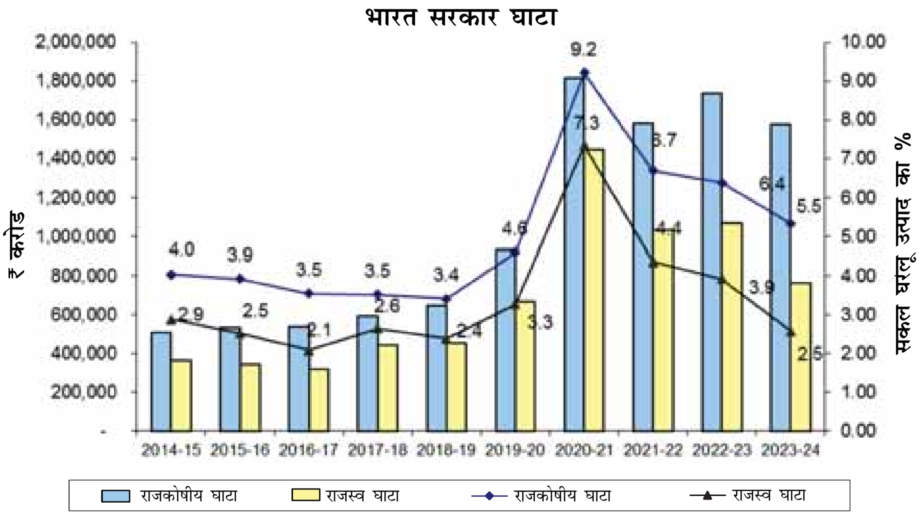


## सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी )*

वर्षवार सकल घरेलू उत्पाद मूल्य वर्ष 2014-15 में ₹126.54 लाख करोड़ से वर्ष 2023-2024 में दो गुना बढ़कर ₹295.36 लाख करोड़ हो गया।

| वर्ष | सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में) |
|---|---|
| 2014-2015 | 126.54 |
| 2015-2016 | 135.76 |
| 2016-2017 | 151.84 |
| 2017-2018 | 167.73 |
| 2018-2019 | 190.10 |
| 2019-2020 | 203.40 |
| 2020-2021 | 197.46 |
| 2021-2022 | 236.65 |
| 2022-2023 | 272.41 |
| 2023-2024 | 301.23* |

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी अनुमान।

## घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹16,54,643 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹15,98,728 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹55,121 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाए गए संसाधन के घाटे से कम होने के कारण नकदी शेष में ₹794 करोड़ की कमी आई। वर्ष 2023-24 के अंत में नकदी शेष राशि ₹3,232 करोड़ थी।

### घाटे का वित्तपोषण

(₹ करोड़)

| विवरण | 2023-24 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|
| बाजार ऋण | 11,77,754 | 71% | 11,05,836 | 64% |
| अल्पकालिक ऋण (टी बिल आदि) | 53,205 | 3% | 1,12,009 | 6% |
| लघु बचतों के तहत जारी प्रतिभूतियां | 4,51,399 | 27% | 3,95,860 | 23% |
| राज्य भविष्य निधि | 5,059 | 0% | 5,089 | 0% |
| अन्य (आंतरिक ऋण और लोक लेखे) | -88,689 | -5% | 83,460 | 5% |
| बाह्य ऋण | 55,121 | 4% | 37,124 | 2% |
| रोकड़ आहरण द्वारा कमी | 794 | 0% | -1,622 | 0% |
| **कुल वित्तपोषण** | **16,54,643** | **100%** | **17,37,754** | **100%** |

## ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹91,60,050 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और ₹74,62,493 करोड़ के पिछले ऋण का निपटान किया। इसका निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹16,97,557 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31-03-2024 को बकाया ऋण का कुल स्टॉक ₹1,52,64,446 करोड़ था। वर्ष 2023-2024 के अंत में ब्याज वाले कुल देयताएं ₹1,60,94,983 करोड़ थी, और कुल देनदारियाँ ₹1,64,34,394 करोड़ थीं।

### ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन

(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2023 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2024 | वृद्धि/ कमी |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण* | 1,35,66,889 | 91,60,050 | 74,62,493 | 1,52,64,446 | 16,97,557 |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि** | 5,46,509 | 20,99,224 | 21,14,195 | 5,31,538 | -14,971 |
| ब्याज वाली अन्य देयताएं | 2,63,789 | 1,10,806 | 75,596 | 2,98,999 | 35,210 |
| बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं | 2,65,965 | 15,00,741 | 14,27,295 | 3,39,411 | 73,446 |
| **कुल ऋण और अन्य देयताएं** | **1,46,43,152** | **1,28,70,821** | **1,10,79,579** | **1,64,34,394** | **17,91,242** |

प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹5,66,269 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹7,96,078 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹1,54,94,255 करोड़ होती।

** 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार लघु बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹10,75,243 करोड़ है। इसमें से ₹8,773 करोड़ संचित घाटा है, ₹3,17,908 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, ₹85,000 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹1,32,024 करोड़ का निवेश निजी फंड मैनेजरों के पास किया गया और इस प्रकार इस लेखे में ₹5,31,538 करोड़ की देयता बकाया है।

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण जोकि वर्ष 2014-15 में ₹51,04,675 करोड़ था, वह वर्ष 2023-24 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹1,54,94,255 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 में तीव्र वृद्धि मुख्यत: कोविड-19 महामारी के कारण अतिरिक्त उधार की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि इसके बाद के वर्षों में लोक ऋण में मजबूती और ज्यादा मध्यम वृद्धि दिखाई दी। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लोक ऋण (वर्तमान मूल्य पर), जोकि वर्ष 2014-15 में सकल उत्पाद का 40.34% था, वह 2023-24 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 52.46% हो गया। वर्ष 2023-24 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 49.76% और बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य पर) सकल घरेलू उत्पाद का 2.70% था।

**भारत सरकार की देयताएं**

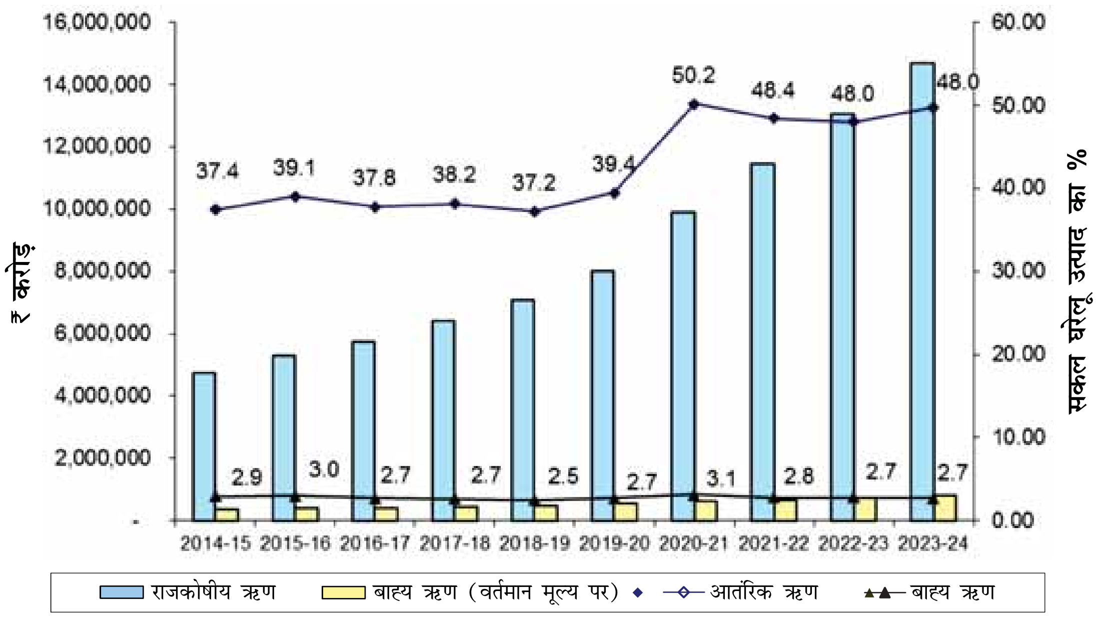


## निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने ₹27,88,804 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹92,12,550 करोड़ का ऋण लिया। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि में प्राप्त कुल निधियां, ₹1,20,01,354 करोड़ थीं। इसमें से, ₹74,62,493 करोड़ पिछले ऋण की पुनअर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹44,43,447 करोड़ सरकार के चालू कार्याकलापों पर व्यय किए गए। भारत की समेकित निधि से कुल ₹1,19,05,940 करोड़ का व्यय हुआ। भारत की समेकित निधि में व्यय की तुलना में अधिक प्राप्तियों के साथ-साथ लोक लेखों में निवल प्राप्तियों के कारण नकद शेष में ₹794 करोड़ की कमी आई ।

## निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(₹ करोड़)

| स्रोत | | | अनुप्रयोग | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | | 2023-24 | 2022-23 |
| **प्राप्तियां** | **27,88,804** | **24,55,403** | **व्यय** | **44,43,447** | **41,93,157** |
| कर | 23,27,251 | 20,97,786 | राजस्व | 34,94,252 | 34,53,132 |
| करेतर | 4,01,785 | 2,85,421 | जिसमें से ब्याज अदायगी | 10,63,872 | 9,28,517 |
| ऋणेतर पूंजी | 59,768 | 72,196 | पूँजीगत | 9,49,195 | 7,40,025 |
| **अन्य स्रोत** | **91,17,136** | **89,37,455** | **अन्य अनुप्रयोग** | **74,62,493** | **71,99,701** |
| नया ऋण | 92,12,550 | 88,47,708 | ऋण की पुनर्अदायगी | 74,62,493 | 71,99,701 |
| आन्तरिक | 91,10,112 | 87,70,656 | आंतरिक | 74,15,176 | 71,59,772 |
| बाह्य | 1,02,438 | 77,052 | बाह्य | 47,317 | 39,929 |
| रोकड़ आहरण द्वारा कमी | 794 | -1,622 | | | |
| लोक लेखा | -96,208 | 91,369 | | | |
| **जोड़** | **1,19,05,940** | **1,13,92,858** | **जोड़** | **1,19,05,940** | **1,13,92,858** |

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान कर प्राप्तियों और करेतर प्राप्तियों में क्रमश: 11% और 41% की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 14% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 6% की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय में भी 1% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 28% की वृद्धि हुई।

# बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

## प्राप्तियां

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व ₹23,27,251 करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 100.14% था और गैर-कर राजस्व (₹4,01,785 करोड़) संशोधित अनुमान का 107% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹27,29,036 करोड़) संशोधित अनुमानों का 101.09% थी।

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (₹59,768 करोड़) में विनिवेश प्राप्तियों और कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां शामिल होती हैं, ये संशोधित अनुमानों का 106.73% थी। इस प्रकार सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹27,88,804 करोड़ थी जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय (₹44,43,447 करोड़) से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹16,54,643 करोड़ कम थी। 'ऋण वित्तीयन' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 99.38% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियां ₹16,53,849 करोड़ थी जो संशोधित अनुमानों का 99.89% थी। नकद आहरण द्वारा ₹26,651 करोड़ के अनुमान की तुलना में सरकार की आरक्षित नकदी में ₹794 करोड़ की कमी आई।

**प्राप्तियाँ 2023-24**
(₹ करोड़)

| | | संशोधित अनुमान (2023-24) | वास्तविक राशि (2023-24) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2022-23) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व प्राप्तियां** | | | | |
| 1 | **कर राजस्व** | | | | |
| | सकल कर राजस्व | **34,37,211** | **34,65,519** | **100.82** | **30,54,192** |
| | केन्द्रीय माल और सेवा कर | 811,600 | 8,20,627 | 101.11 | 7,18,522 |
| | एकीकृत माल और सेवा कर | 0 | -4,848 | - | 4,748 |
| | जीएसटी मुआवजा उपकर | 1,45,000 | 1,41,436 | 97.54 | 1,25,862 |
| | निगम कर | 9,22,675 | 9,11,055 | 98.74 | 8,25,834 |
| | आय पर कर (एसटीटी + ब्याज कर + अनुषंगी लाभ कर + व्यय कर) | 10,22,325 | 10,44,240 | 102.19 | 8,33,260 |
| | धन कर | 0 | 6 | - | -10 |
| | सीमा शुल्क | 2,18,680 | 2,33,119 | 106.60 | 2,13,371 |
| | संघ उत्पाद शुल्क | 3,03,600 | 3,05,362 | 99.11 | 3,19,00 |
| | सेवा कर | 500 | 425 | 84.99 | 431 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों के कर | 8,331 | 8,625 | 103.53 | 8,513 |
| | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | 4500 | 5,457 | 101.27 | - |
| | आय एवं व्यय पर अन्य कर | 0 | 15 | - | - |
| | **घटाएं - राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी** | 8,800 | 8,774 | 99.70 | 8,000 |
| | **घटाएं - राज्यों का भाग** | **11,04,494** | **11,29,494** | **102.26** | **9,48,406** |
| | 1 (क) **केन्द्र का निवल कर राजस्व** | **23,23,917** | **23,27,251** | **100.14** | **20,97,786** |

| | | संशोधित अनुमान (2023-24) | वास्तविक राशि (2023-24) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2022-23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **करेतर राजस्व** | | | | |
| | ब्याज प्राप्तियां | 31,778 | 38,261 | 120.40 | 27,852 |
| | लाभांश और लाभ | 1,54,407 | 1,70,877 | 110.67 | 99,914 |
| | बाह्य अनुदान | 1,442 | 1,013 | 70.18 | 1,887 |
| | अन्य करेतर राजस्व | 1,85,642 | 1,88,568 | 101.58 | 1,53,577 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां | 2,526 | 3,066 | 121.36 | 2,191 |
| | **कुल करेतर राजस्व** | 3,75,795 | 4,01,785 | 106.92 | 2,85,421 |
| | **कुल राजस्व प्राप्तियां I (1 क + 2)** | **26,99,712** | **27,29,036** | **101.09** | **23,83,207** |
| 3 | **पूंजीगत प्राप्तियां** | | | | |
| क | **ऋणेतर प्राप्तियां** | | | | |
| | कर्जों और अग्रिमों की वसूलियां @ | 26,000 | 26,646 | 102.48 | 26,161 |
| | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 30,000 | 33,122 | 110.41 | 46,035 |
| | **कुल** | **56,000** | **59,768** | **106.73** | **72,196** |
| ख | **ऋण प्राप्तियां*** | | | | |
| | उधार | 11,81,779 | 12,30,959 | 104.16 | 12,17,845 |
| | अल्प बचतों पर जारी प्रतिभूतियां | 4,71,317 | 4,51,399 | 95.77 | 3,95,859 |
| | राज्य भविष्य निधि (निवल) | 5,200 | 5,059 | 97.29 | 5,088 |
| | अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे) | 78,296 | -88,689 | -113.27 | 83,460 |
| | बाह्य ऋण | 24,832 | 55,121 | 221.98 | 37,124 |
| | **कुल** | **17,61,424** | **16,53,849** | **93.89** | **17,39,376** |
| | **कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)** | **18,17,424** | **17,13,617** | **94.28** | **18,11,572** |
| 4 | **भारत की आकस्मिकता निधि** | | **0** | **-** | **0** |
| | **भारत की आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग** | | | - | - |
| | **अंतरण की तुलना में निवल** | | | - | - |
| 5 | **नकद शेष की आहरण द्वारा कमी** | **-26,651** | **794** | **-** | **-1,622** |
| | **कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4+5)** | **44,90,484** | **44,43,447** | **98.95** | **41,93,157** |
| | **राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)** | **17,34,772** | **16,54,643** | **95.38** | **17,37,754** |
| | **एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹44,43,447 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 98.95% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 98.70% था, जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 99.89% था। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमानों का 103.24% था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमानों का 106.24% था।

@ एफसीआई को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण की ₹12,224 करोड़ की राशि की वसूलियां शामिल नहीं है।

* प्राप्तियां पुनर्अदायगी के निवल हैं।

पेंशन, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों एवं विदेशी सरकारों को अनुदान तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि राजस्व खंड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमानों से कुछ भिन्न रहे। पूंजीगत खंड में, ऋणों तथा अग्रिमों पर भी व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक रहा, जबकि शेष संघटकों पर व्यय संशोधित अनुमानों से कम रहा।

**व्यय 2023-24**
**(₹ करोड़)**

| | | संशोधित अनुमान (2023-24) | वास्तविक राशि (2023-24) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2022-23) |
|---|---|---|---|---|---|
| क | राजस्व व्यय | | | | |
| 1 | ब्याज अदायगियां और पूर्व भुगतान प्रीमियम | 10,55,427 | 10,63,872 | 100.80 | 9,28,517 |
| 2 | रक्षा सेवा | 2,98,669 | 2,90,443 | 97.32 | 2,56,183 |
| 3 | सहायिकियां | 4,40,536 | 4,35,295 | 99.31 | 5,69,916 |
| 4 | राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान | 5,90,531 | 6,09,677 | 103.24 | 6,51,648 |
| 5 | पेंशन* | 2,38,049 | 2,38,328 | 100.12 | 2,41,599 |
| 6 | पुलिस | 1,15,979 | 1,15,393 | 99.49 | 1,07,187 |
| 7 | राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता | 8,800 | 8,774 | 99.71 | 8,000 |
| 8 | अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि) | 99,238 | 93,533 | 94.25 | 82,243 |
| 9 | सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि) | 2,33,305 | 2,38,067 | 102.04 | 1,88,162 |
| 10 | आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि) | 4,22,995 | 3,63,147 | 85.85 | 3,87,448 |
| 11 | डाक घाटा | 21,972 | 23,068 | 104.99 | 20,538 |
| 12 | बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय | 16,162 | 15,973 | 98.83 | 13,303 |

| | | संशोधित अनुमान (2022-23) | वास्तविक राशि (2022-23) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि | -8,800 | -8,774 | 99.71 | -8,000 |
| 14 | विदेशी सरकारों को अनुदान | 7,376 | 7,455 | 101.08 | 6,387 |
| **कुल राजस्व व्यय** | | **35,40,239** | **34,94,252** | **98.70** | **34,53,132** |
| **ख** | **पूंजीगत व्यय** | | | | |
| 1 | सामान्य सेवाएं | 1,81,581 | 1,77,488 | 97.75 | 1,61,188 |
| | जिनमें से रक्षा सेवाएं | 1,57,228 | 1,54,256 | 98.11 | 1,42,940 |
| 2 | समाज सेवाएं | 9,436 | 8,587 | 91.01 | 12,166 |
| 3 | आर्थिक सेवाएं | 6,11,887 | 5,97,954 | 97.72 | 4,47,586 |
| 4 | ऋण और अग्रिम | 1,43,194 | 1,61,039 | 106.66 | 1,15,268 |
| | जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज | 1,15,657 | 1,22,873 | 106.24 | 92,707 |
| | जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज | 1,614 | 1,612 | 99.85 | 704 |
| | जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित अन्य कर्ज | 25,923 | 36,554 | 141.01 | 21,857 |
| 5 | बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय | 4,149 | 4,127 | 99.40 | 3,817 |
| **कुल पूंजीगत व्यय** | | **9,50,246** | **9,49,195** | **99.89** | **7,40,025** |
| **ग** | **आकस्मिकता निधि** | 0 | 0 | - | |
| | आकस्मिकता निधि को अंतरण | | | - | |
| | निवल | | | - | |
| **कुल व्यय (क+ख+ग)** | | **44,90,486** | **44,43,447** | **98.95** | **41,93,157** |

* पेंशन राशि मुख्य शीर्ष 2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का जोड़ है। यह वस्तु शीर्ष 04–पेंशनरी प्रभार, 05–पुरस्कार, 06–चिकित्सा उपचार, 49–अन्य राजस्व व्यय और 70–घटाएं वसूलियों का योग है।

# वित्तीय विवरण

## वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़)

| | | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|---|
| | **देयताएं** | **1,64,64,395** | **1,46,83,035** |
| क. | लोक ऋण | 1,52,64,446 | 1,35,66,889 |
| | 1. आंतरिक ऋण | 1,46,98,177 | 130,73,732 |
| | 2. बाह्य ऋण | 5,66,269 | 4,93,157 |
| ख. | आकस्मिकता निधि | 30,000 | 30,000 |
| ग. | लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल) | 11,69,949 | 10,86,146 |
| | 1. आरक्षित निधियां | 2,39,232 | 1,52,003 |
| | 2. जमा और अग्रिम | 3,99,179 | 3,86,134 |
| | 3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | 5,31,538 | 5,48,009 |
| | **परिसम्पत्तियां** | **1,64,64,395** | **1,46,83,035** |
| क. | रोकड़ और रोकड़ समकक्ष | 1,75,404 | 4,026 |
| | 1. रोकड़ शेष | 3,232 | 4,026 |
| | 2. अल्पावधि रोकड़ निवेश | 1,72,172 | 0 |
| ख. | अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 24,94,370 | 21,68,137 |
| | 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश | 15,52,810 | 12,98,658 |
| | 2. कर्ज तथा अग्रिम | 9,41,560 | 8,69,479 |
| | क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 6,23,358 | 5,81,566 |
| | ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 3,18,202 | 2,87,913 |
| ग. | उचंत और विविध | 7,524 | -31,590 |
| घ. | संचित घाटा* | 1,37,87,097 | 1,25,42,461 |

**स्रोतः** संघ सरकार वित्त लेखे (2023-24)-सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

## प्रचालन विवरण

(₹ करोड़)

| | 2023-2024 | 2022-2023 |
|---|---|---|
| **प्राप्तियां** | | |
| **राजस्व लेखा** | **30,88,175** | **27,13,267** |
| कर राजस्व | 23,36,025 | 21,05,786 |
| करेतर राजस्व | 7,51,137 | 6,05,594 |
| सहायता अनुदान | 1,013 | 1887 |
| **अन्य प्राप्तियां** | **45,281** | **46,035** |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश | 1,638 | 475 |
| अन्य | 43,643 | 45,560 |
| **कुल प्राप्तियां** | **31,33,456** | **27,59,302** |
| **व्यय** | | |
| **राजस्व लेखा** | **38,54,082** | **37,83,699** |
| सामान्य सेवाएं | 18,78,933 | 16,79,263 |
| सामाजिक सेवाएं | 2,53,336 | 2,13,780 |
| आर्थिक सेवाएं | 11,04,681 | 12,32,621 |
| सहायता अनुदान | 6,17,132 | 6,58,035 |
| **पूंजीगत लेखा** | **5,20,785** | **4,11,458** |
| सामान्य सेवाएं | 1,77,840 | 1,61,551 |
| सामाजिक सेवाएं | 9,173 | 12,676 |
| आर्थिक सेवाएं | 3,33,772 | 2,37,231 |
| **विविध** | **10,852** | **6,235** |
| **कुल व्यय** | **43,85,719** | **42,01,392** |
| **पूर्व अवधि समायोजन** | **-7,627** | **0** |
| **घाटा*** | **12,44,636** | **14,42,090** |

**स्रोत:** संघ सरकार वित्त लेखे (2023-24)-सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

| प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण<br>(₹ करोड़) | | |
|---|---|---|
| | **2023-2024** | **2022-2023** |
| **प्राप्तियां** | **1,63,22,965** | **1,45,82,355** |
| **भारत की समेकित निधि** | **1,24,10,479** | **1,16,60,467** |
| कर राजस्व | 23,36,025 | 21,05,786 |
| करेतर राजस्व | 7,51,137 | 6,05,594 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 1,013 | 1,887 |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 45,281 | 46,035 |
| लोक ऋण | 91,60,050 | 88,64,892 |
| कर्ज तथा अग्रिम | 1,16,973 | 36,273 |
| भारत की आकस्मिकता निधि | 0 | 0 |
| **लोक लेखा** | **39,12,486** | **29,21,888** |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि | 20,99,224 | 1,66,8420 |
| आरक्षित निधियां | 6,91,224 | 7,77,934 |
| जमा तथा अग्रिम | 10,16,894 | 4,08,772 |
| उचंत और विविध | 1,03,204 | 54,304 |
| प्रेषण | 1,940 | 12,458 |
| **संवितरण** | **1,63,23,759** | **1,45,80,733** |
| **भारत की समेकित निधि** | **1,23,15,065** | **1,17,50,215** |
| सामान्य सेवाएं | 18,78,933 | 16,79,263 |
| सामाजिक सेवाएं | 2,53,336 | 2,13,780 |
| आर्थिक सेवाएं | 11,04,681 | 12,32,621 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 6,17,132 | 6,58,035 |
| पूंजीगत परिव्यय | 8,07,180 | 6,24,757 |
| ऋण की पुर्नअदायगी | 74,62,493 | 71,99,701 |
| कर्ज तथा अग्रिम | 1,91,310 | 1,42,058 |
| भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण | 0 | 0 |
| **लोक लेखा** | **40,08,694** | **28,30,518** |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि | 21,14,195 | 17,21,857 |
| आरक्षित निधियां | 6,00,792 | 7,09,131 |
| जमा तथा अग्रिम | 9,94,339 | 3,56,783 |
| उचंत और विविध | 2,24,910 | 41, 915 |
| प्रेषण | 74,458 | 832 |
| **संवितरणों पर प्राप्तियां** | **-794** | **1,622** |
| प्रारंभिक रोकड़ शेष * | 4,026 | 2,404 |
| **अंतिम रोकड़ शेष** | **3,232** | **4,026** |

**स्रोतः** संघ सरकार वित्त लेखे (2023-24)-सकल आंकड़े

# प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग लगभ 84% है। शेष राजस्व करेतर राजस्व (14%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (2%) से आया। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, जोकि कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों का लगभग 75% हैं। निगम कर (21%), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (17%), आय कर (22%), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (10%), सीमा शुल्क (7%), वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (6%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (12%) ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों का मुख्य भाग हैं।

**भारत की समेकित निधि प्राप्तियां ( 2023–24 )**

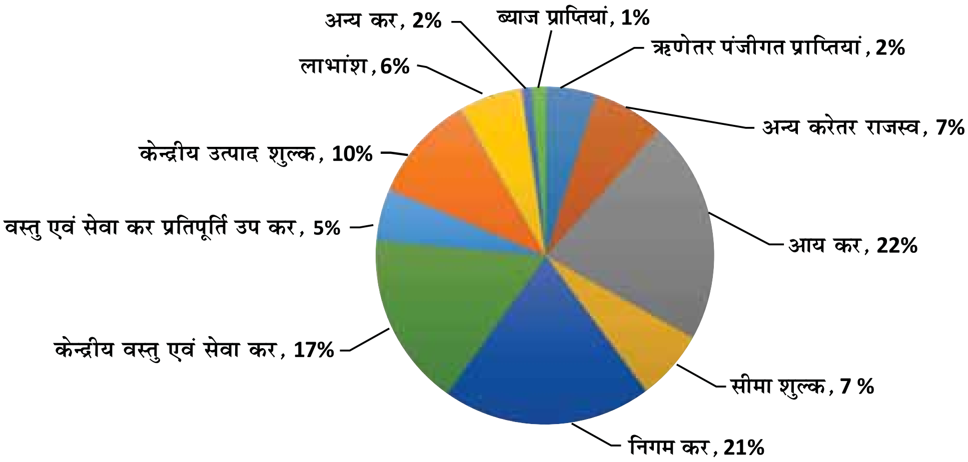


वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां (राज्यों को करों का निवल अंतरण) ₹27,88,804 करोड़ थी। कर राजस्व में 11% की वृद्धि होकर यह ₹20,97,786 करोड़ से ₹23,27,251 करोड़ हो गया, जबकि करेतर राजस्व में 41% की वृद्धि होकर यह ₹2,85,421 करोड़ से ₹4,01,785 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में भी ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में 17% की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में समग्र रूप से 14% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार की ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों की वजह से ₹26,646 करोड़ की राशि शामिल है।

**ऋणेतर प्राप्तियां**
**( ₹ करोड़ )**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| कर राजस्व | 23,27,251 | 20,97,786 | 11% |
| करेतर राजस्व | 4,01,785 | 2,85,421 | 41% |
| ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां | 59,768 | 72,196 | -17% |
| **कुल ऋणेतर प्राप्तियां** | **27,88,804** | **24,55,403** | **14%** |

## कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केन्द्र को निवल) वर्ष 2022-23 में ₹20,97,786 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹23,27,251 करोड़ हो गया। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में 14% की और आयकर में 25% की वृद्धि हुई। इसके अलावा निगम कर में 10% की और सीमा शुल्क में 9% की वृद्धि हुई, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर में 202% कमी आई।

**कर राजस्व**
**(₹ करोड़)**

| | | 2023-24 | | | 2022-23 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण | सकल | राज्यों को हस्तांतरित | निवल | सकल | राज्यों को हस्तांतरित | निवल | सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि |
| 1. | वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | | |
| क | केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 8,20,627 | 3,42,787 | 4,77,840 | 7,18,522 | 2,68,334 | 4,50,188 | 14% |
| ख | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | -4,848 | - | -4,848 | 4,748 | - | 4,748 | -202% |
| ग | वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर | 1,41,436 | - | 1,41,436 | 1,25,862 | - | 1,25,862 | 12% |
| 2 | निगम कर | 9,11,055 | 3,39,024 | 5,72,031 | 8,25,834 | 3,17,163 | 5,08,671 | 10% |
| 3 | आय कर | 10,10,446 | 3,91,528 | 6,18,918 | 8,08,221 | 3,10,819 | 4,97,402 | 25% |
| 4 | ब्याज कर | 20 | - | 20 | 9 | - | 9 | 122% |
| 5 | अनुषंगी हितलाभ कर | -4 | - | -4 | -75 | - | -75 | -94% |
| 6 | आय एवं व्यय पर अन्य कर | 15 | - | 15 | 19 | - | 19 | -19% |
| 7 | धन कर | 6 | - | 6 | -10 | - | -10 | 160% |
| 8 | प्रतिभूति लेनदेन कर | 33,778 | - | 33,778 | 25,086 | - | 25,086 | 35% |
| 9 | सीमा शुल्क | 2,33,119 | 39,582 | 1,93,537 | 2,13,371 | 37,330 | 1,76,041 | 9% |
| 10 | संघ उत्पाद शुल्क | 3,05,362 | 14,979 | 2,90,383 | 3,19,000 | 11,712 | 3,07,288 | -4% |
| 11 | सेवा कर | 425 | 210 | 215 | 431 | 1,485 | -1,054 | -1% |
| 12 | माल एवं सेवा पर अन्य कर तथा शुल्क | 3,929 | 1,384 | 2,545 | 3,724 | 1,563 | 2,161 | 5% |
| 12 | अन्य कर | 1,528 | - | 1,528 | 937 | - | 937 | 63% |
| 13 | संघ राज्य क्षेत्रों को कर | 8,625 | - | 8,625 | 8,513 | - | 8,513 | 1% |
| 14 | एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार | -8,774 | - | -8,774 | -8,000 | - | -8,000 | 10% |
| | | **34,56,745** | **11,29,494** | **23,27,251** | **30,46,192** | **9,48,406** | **20,97,786** | **13%** |

## करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में प्राप्त होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जो कि वर्ष 2022-23 में ₹2,85,421 करोड़ था वह वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर ₹4,01,785 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹1,16,364 करोड़ की वृद्धि हुई।

| करेतर राजस्व (₹ करोड़) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 | वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%) |
| 1. | ब्याज प्राप्तियां | 38,261 | 27,852 | 37 |
| 2. | लाभांश और लाभ | 1,70,877 | 99,914 | 71 |
| 3. | संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व | 3,066 | 2,191 | 40 |
| 4. | अन्य करेतर राजस्व | 1,89,581 | 1,55,464 | 22 |
| **कुल करेतर राजस्व** | | **4,01,785** | **2,85,421** | **41** |

## ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोदभूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 17% है। सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (10%), वाणिज्यिक उपक्रम विभाग (2%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹78,674 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹19,110 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र/अन्य उपक्रमों में प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

| ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | स्रोत | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
| 1. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 13,641 | 9,702 | 6,552 | 6,317 |
| 2. | विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम | 1,600 | 1,544 | 1,544 | 1,374 |
| 3. | सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम | 7,686 | 1,664 | 2,088 | 1,695 |
| 4. | अन्य | 55,747 | 46,654 | 36,003 | 50,154 |
| | **कुल** | **78,674** | **59,564** | **46,177** | **59,540** |

## लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश बढ़कर ₹70,969 करोड़ हो गया, जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹99,922 करोड़ था, वह वर्ष 2023-24 में ₹1,70,891 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश में अत्यधिक वृद्धि हुई है यह 188% से भी अधिक है और यह लाभांश में मुख्य योगदानकर्ता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभांशों में 58% की वृद्धि हुई है।

| लाभांश - मुख्य स्रोत (₹ करोड़) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मुख्य स्रोत | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम | 63,827 | 59,735 | 59,120 | 39,497 |
| 2. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 4,273 | 916 | - | - |
| 3. | राष्ट्रीयकृत बैंक | 13,807 | 8,738 | 2231 | - |
| 4. | भारतीय रिजर्व बैंक | 87,416 | 30,308 | 99,122 | 57,128 |
| 5. | अन्य | 1,568 | 225 | 180 | 264 |
| | **कुल** | **1,70,891** | **99,922** | **1,60,653** | **96,889** |

## विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश भी शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹1,638 करोड़ की राशि और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण ₹13,582 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। ₹30,061 करोड़ की शेष पूंजीगत प्राप्तियों में, ₹15,968 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय और ₹12,159 करोड़ विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त हुए बोनस शेयरों से संबंधित हैं।

| पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | स्रोत | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश | 1,638 | 475 | 2,936 | 1,725 |
| 2. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम | 13,582 | 29,709 | 5,496 | 27,996 |
| 3. | अन्य पूंजीगत प्राप्तियां | 30,061 | 15,851 | 6,206 | 8,176 |
| | **कुल** | **45,281** | **46,035** | **14,638** | **37,897** |

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाले विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों के विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत किए गए हैं।

# व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹44,43,447 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,50,290 करोड़ (6%) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹34,94,252 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹41,120 करोड़ (1%) की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹9,49,195 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹2,09,170 करोड़ (28%) की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 21% था। पूंजीगत व्यय में वृद्धि ऋण एवं अग्रिम के अधिक वितरण और आर्थिक सेवाओं विशेषकर परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय किए गए ज्यादा व्यय के कारण हुई।

**व्यय**
(₹ करोड़)

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | वर्षवार वृद्धि |
|---|---|---|---|
| **राजस्व** | 34,94,252 | 34,53,132 | 1% |
| सामान्य सेवाएं | 18,04,439 | 16,17,127 | 12% |
| सामाजिक सेवा | 2,44,562 | 2,05,779 | 19% |
| आर्थिक सेवाएं | 8,28,119 | 9,72,191 | -15% |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 6,17,132 | 6,58,035 | -6% |
| **पूंजीगत** | **9,49,195** | **7,40,025** | **28%** |
| सामान्य सेवाएं | 1,77,839 | 1,61,551 | 10% |
| सामाजिक सेवाएं | 9,173 | 12,676 | -28% |
| आर्थिक सेवाएं | 6,01,088 | 4,50,530 | 33% |
| कर्ज एवं अग्रिम | 1,61,095 | 1,15,268 | 40% |
| निवल | 0 | 0 | |
| **कुल व्यय** | **44,43,447** | **41,93,157** | **6%** |

**क्षेत्रवार व्यय**
(₹ करोड़)

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | वर्षवार वृद्धि |
|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 19,82,278 | 17,78,678 | 11% |
| सामाजिक सेवाएं | 2,53,735 | 2,18,455 | 16% |
| आर्थिक सेवाएं | 14,29,207 | 14,22,721 | 1% |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 6,17,132 | 6,58,035 | -6% |
| कर्ज और अग्रिम | 1,61,095 | 1,15,268 | 40% |
| **कुल व्यय** | **44,43,447** | **41,93,157** | **6%** |

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹7,88,100 करोड़ (83%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (17%) के रूप में थे।

| वर्ष | परिसंपत्ति निर्माण | | कर्ज एवं अग्रिम | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2,26,685 | 90% | 26,337 | 10% | 2,53,022 |
| 2016-17 | 2,49,472 | 87% | 36,810 | 13% | 2,86,282 |
| 2017-18 | 2,45,112 | 93% | 18,027 | 7% | 2,63,139 |
| 2018-19 | 2,79,493 | 92% | 28,221 | 8% | 3,07,714 |
| 2019-20 | 3,11,851 | 93% | 24,414 | 7% | 3,36,265 |
| 2020-21 | 3,15,826 | 74% | 1,10,491 | 26% | 4,26,317 |
| 2021-22 | 5,34,498 | 90% | 58,376 | 10% | 5,94,793 |
| 2022-23 | 6,24,757 | 84% | 1,15,268 | 16% | 74,00,25 |
| 2023-24 | 7,88,100 | 83% | 1,61,095 | 17% | 9,49,195 |

## क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹19,82,278 करोड़ (कुल व्यय का 44%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशन, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर ₹2,53,735 करोड़ (कुल व्यय का 6%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹14,29,207 करोड़ (कुल व्यय का 32%) का व्यय हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹6,17,132 करोड़ (कुल व्यय का 14%) जारी किए गए। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम के रूप में ₹1,61,095 करोड़ (कुल व्यय का 4%) की राशि दी गई।

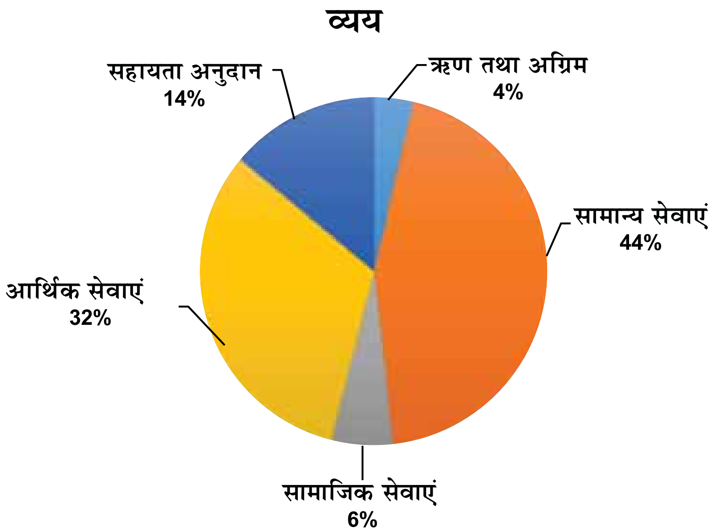


## सहायिकियां (सब्सिडी)

सहायिकियों पर व्यय जो कि वर्ष 2022-23 में ₹5,77,916 करोड़ था वह वर्ष 2023-24 में ₹4,37,495 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24% की कमी हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर सहायिकियां क्रमशः ₹2,11,814 करोड़, ₹1,88,292 करोड़ तथा ₹12,240 करोड़ थीं। खाद्य सहायिकी में पिछले वर्ष से 22% की कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सहायिकी में 80% की वृद्धि हुई और उर्वरक सहायिकी में 25% की कमी हुई। अन्य मदों के सहायिकी बिल में 52% की कमी हुई।

**मुख्य आर्थिक सहायता**
(₹ करोड़)

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | वर्षवार वृद्धि |
|---|---|---|---|
| खाद्य | 211,814 | 2,72,802 | -22% |
| उर्वरक | 188,292 | 2,51,339 | -25% |
| पेट्रोलियम | 12,240 | 6,817 | 80% |
| अन्य | 22,552 | 46,958 | -52% |
| **कुल** | **4,34,899** | **5,77,916** | **-25%** |

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार-/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।
2. सहायिकियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

ब्याज सहायिकी 2023-24 में ₹20,516 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹21,160 करोड़ की कमी हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक आशोधित ब्याज अनुदान योजना (₹14,252 करोड़) और ब्याज समकरण योजना (₹3,700 करोड़) थी। अन्य सहायिकियां वर्ष 2022-23 में ₹5,281 करोड़ से कम होकर वर्ष 2023-24 में ₹3,037 करोड़ हो गई।

## निवल उधार

सरकार के उधार कार्य के मुख्य लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थान हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने ₹1,91,310 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹1,16,974 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि के स्टॉक में ₹74,336 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2023-24 के अंत में, सरकार के अग्रिम ₹9,41,560 करोड़ थे।

### सरकार द्वारा दिए गए उधार
(₹ करोड़)

| क्र. सं. | विवरण | 01-अप्रैल-23 | वृद्धियां | प्राप्तियां | 31-मार्च-24 | वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकारें | 5,66,395 | 1,40,863 | 92,857 | 6,14,401 | 48,006 |
| 2. | संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें | 15,172 | 0 | 6,215 | 8,957 | -6,215 |
| 3. | विदेशी सरकारें | 15,295 | 1,612 | 231 | 16,676 | 1,381 |
| 4. | सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि | 2,70,016 | 48,657 | 17,552 | 3,01,121 | 31,105 |
| 5. | सरकारी कर्मचारी | 3,46 | 178 | 119 | 405 | 59 |
| | **कुल** | **8,67,224** | **1,91,310** | **1,16,974** | **9,41,560** | **74,336** |

## निवेश

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹2,77,410 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹19,08,263 करोड़ था।

### कंपनियों आदि में सरकार का निवेश
(₹ करोड़)

| क्र.सं. | विवरण | निवेश की गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | सांविधिक निगम | 19,315 |
| 2. | संयुक्त स्टॉक कंपनियां | 12,09,487 |
| 3. | अंतर्राष्ट्रीय निकाय | 1,79,317 |
| 4. | राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक | 4,99,867 |
| 5. | सहकारी समितियां | 277 |
| | **कुल** | **19,08,263** |

मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय के ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

# ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व पर अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता हे। इसके अलावा, लोक लेखा में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में भी काम करता है।

31 मार्च, 2024 को सरकार की कुल देनदारी ₹1,64,34,394 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹1,46,98,177 करोड़ (89%)] बाह्य ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर) ₹5,66,269 करोड़ (3%) और अन्य देयताएं ₹11,64,948 करोड़ (8%) थीं।

**भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं**

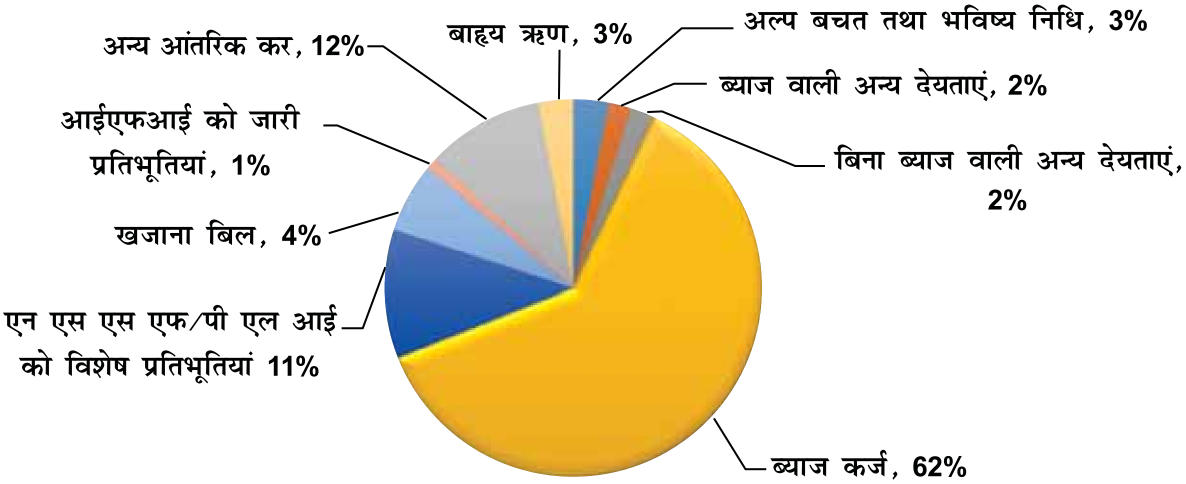


31 मार्च 2024 तक, कुल सार्वजनिक ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण) ₹1,52,64,446 करोड़ था। वर्ष के प्रारंभ में सार्वजनिक ऋण ₹1,35,66,889 करोड़ से वर्ष के दौरान 13% बढ़ गया। 31.03.2024 को चालू विनिमय दर पर लोक ऋण ₹1,54,94,255 करोड़ था जबकि 31.3.2023 को यह ₹1,38,22,188 करोड़ था।

## आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजारकर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केन्द्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियों भी आंतरिक ऋण का भाग होती है।

आंतरिक ऋण की कुल राशि वर्ष के प्रारंभ में ₹1,30,73,732 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹1,46,98,177 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज ₹91,25,233 करोड़ से बढ़कर ₹1,02,12,883 करोड़ हो गया।

| आंतरिक ऋण (₹ करोड़) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्रोत | 1 अप्रैल, 2023 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2024 | वृद्धि/कमी |
| बाजार कर्ज | 91,25,233 | 16,23,290 | 5,35,640 | 1,02,12,883 | 10,87,650 |
| अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां | 96,625 | 13,657 | 3,295 | 1,06,987 | 10,362 |
| 364 दिन के खजाना बिल | 4,45,284 | 4,57,487 | 4,45,284 | 4,57,487 | 12,203 |
| अर्थोपाय अग्रिम | 48,677 | 1,50,636 | 1,99,313 | - | -48,677 |
| 14 दिन के खजाना बिल | 2,13,984 | 48,38,805 | 47,85,272 | 2,67,517 | 53,533 |
| विक्रेय प्रतिभूतियां | 24,688 | - | 8,000 | 16,688 | -8,000 |
| रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99) | 64,569 | - | - | 64,569 | - |
| रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99) | 14,22,551 | 4,04,016 | 1,72,761 | 16,53,806 | 2,31,255 |
| पीएलआई के अतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां | 20,894 | - | - | 20,894 | - |
| अन्य | 16,11,227 | 15,51,730 | 12,65,611 | 18,97,346 | 2,86,118 |
| **कुल आंतरिक ऋण** | **1,30,73,732** | **90,39,621** | **74,15,176** | **1,46,98,177** | **16,24,445** |

## बाह्य ऋण

वर्ष 2023-24 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक (ऐतिहासिक विनिमय दरों पर) ₹5,66,269 करोड़ था जो कुल बकाया ऋण का 3.71% होता है। वर्तमान विनिमय दर पर (31.3.2024 को) की स्थिति के अनुसार यह ₹7,96,078 करोड़ है।

| बाह्य ऋण (₹ करोड़) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्रोत | ऐतिहासिक विनिमय दरों पर | | | | | |
| | 01-अप्रैल 2023 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च 2024 | वृद्धि/कमी | वर्तमान मूल्य |
| आई.डी.ए. | 29,780 | 6,976 | 17,287 | 19,469 | -10,311 | 1,38,007 |
| जापान | 1,45,140 | 35,200 | 6,410 | 1,73,930 | 28,790 | 1,72,802 |
| ए.डी.बी. | 1,22,551 | 26,651 | 9,908 | 1,39,294 | 16,657 | 1,79,159 |
| जर्मनी | 7,753 | 3,241 | 2,259 | 8,735 | 982 | 23,902 |
| आईबीआरडी | 1,01,960 | 28,690 | 8,535 | 1,22,115 | 20,155 | 1,56,760 |
| आईएफएडी | 2,043 | 360 | 238 | 2,165 | 122 | 4,037 |
| संयुक्त राज्य अमरीका | -573 | 354 | 97 | -316 | 257 | 180 |
| अन्य | 84,503 | 18,957 | 2,583 | 1,00,877 | 16,459 | 1,21,231 |
| **कुल बाह्य ऋण** | **4,93,157** | **1,20,429** | **47,317** | **5,66,269** | **73,112** | **7,96,078** |

ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट-9 पर है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

**विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण**
(₹ करोड़)

| स्रोत | मुद्रा | 1 अप्रैल, 2023 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2024 | वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एडीबी | अमरीकी डालर | 1,960 | 308 | 120 | 2,148 | 188 |
| जर्मनी | यूरो | 254 | 35 | 25 | 264 | 10 |
| आईबीआरडी | अमरीकी डालर | 1,651 | 332 | 103 | 1,880 | 229 |
| आईडीए | अमरीकी डालर | 334 | 17 | 29 | 322 | -12 |
| आईडीए | एसडीआर | 1,141 | – | 135 | 1,006 | -135 |
| जापान | येन | 2,69,071 | 55,975 | 11,374 | 3,13,672 | 4,460 |
| रूसी परिसंघ | ₹ | 398 | – | 28 | 370 | -28 |
| रूसी परिसंघ | अमरीकी डालर | 305 | 85 | 5 | 385 | 80 |

## लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2024 को लोक लेखे में ₹11,69,948 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹8,30,537 करोड़ की थी और शेष ₹3,39,411 करोड़ की देयताएं बिना ब्याज वाली थीं।

**लोक लेखे की देयताएं**
(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2023 | वृद्धि | उन्मोचन | 31 मार्च, 2024 | वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|---|
| अल्प बचत, भविष्य निधि आदि * | 5,46,509 | 20,99,224 | 21,14,195 | 5,31,538 | -14,971 |
| ब्याज वाली अन्य देयताएं | 2,63,789 | 1,10,806 | 75,596 | 2,98,999 | 35,210 |
| आरक्षित निधि | 13,842 | 69,453 | 60,229 | 23,066 | 9,224 |
| जमा | 2,49,947 | 41,353 | 15,367 | 2,75,933 | 25,986 |
| बिना-ब्याज वाली अन्य देयताएं | 2,65,965 | 15,00,741 | 14,27,295 | 3,39,411 | 73,446 |
| आरक्षित निधि | 1,34,957 | 6,21,771 | 5,40,563 | 2,16,165 | 81,208 |
| जमा | 1,31,008 | 8,78,970 | 8,86,732 | 1,23,246 | -7762 |
| **कुल** | **10,76,263** | **37,10,771** | **36,17,086** | **11,69,948** | **93,685** |

## राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प-बचतों के समग्र निवल संग्रहण को सबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडलों वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुन: निवेश किया जाता है।

* 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार पर अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण कुल देयता ₹10,75,243 करोड़ हैं। इसमें से ₹8,773 करोड़ संचयी घाटा है, राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियों में ₹3,17,908 करोड़ का निवेश किया गया, विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ₹85,000 करोड़ का निवेश किया गया और पोलि से संबंधित ₹1,32,024 करोड़ का निवेश निजी फंड मैनेजरों के साथ किया गया जिससे इस मद में बकाया निवल देयता ₹5,31,538 करोड़ होती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण (निवल) ₹4,21,678 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेशों पर) और व्यय क्रमशः ₹2,25,454 और ₹2,19,567 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹4,15,123 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष राशि जो कि वर्ष के आरंभ में ₹7,048 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹19,491 करोड़ हो गई।

## राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2023 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2024 | वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|---|
| **अंतर्वाह** | **27,26,012** | **16,57,933** | **10,10,801** | **33,73,144** | **6,47,132** |
| संग्रहण | 27,26,012 | 14,32,479 | 10,10,801 | 31,47,690 | 4,21,678 |
| बचत जमा | 14,18,963 | 11,39,183 | 8,86,290 | 16,71,856 | 2,52,893 |
| बचत प्रमाण-पत्र | 3,67,600 | 1,32,019 | 75,161 | 4,24,458 | 56,858 |
| लोक भविष्य निधि | 9,39,449 | 1,61,277 | 49,350 | 10,51,376 | 1,11,927 |
| निवेश से आय | - | 2,25,454 | | 2,25,454 | 2,25,454 |
| **बहिर्वाह** | **27,18,964** | **2,84,095** | **9,18,784** | **33,53,653** | **6,34,689** |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश | 27,18,964 | 2,84,095 | 6,99,217 | 31,34,087 | 4,15,123 |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां | 22,79,780 | 2,32,738 | 6,84,137 | 27,31,179 | 4,51,399 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 3,53,834 | 51,007 | 15,080 | 3,17,908 | -35,926 |
| अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश | 85,350 | 350 | 0.00 | 85,000 | -350 |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय | - | - | 2,19,567 | 2,19,567 | 2,19,567 |
| **शेष** | **7,048** | **13,73,838** | **92,017** | **19,491** | **12,443** |

31 मार्च 2024, की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अभिदाताओं के संबंध में, निधि के कुल स्टॉक में ₹31,47,690 करोड़ की दयेताएं थी, जिनमें से ₹16,71,856 करोड़ बचत जमाओं के तहत, ₹4,24,458 करोड़ बचत प्रमाण-पत्रों के तहत और ₹10,51,376 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2023-24 के अंत में निधियों का निवेश ₹31,34,087 करोड़ था, जिसमें से, ₹3,17,908 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ₹27,31,179 करोड़ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹85,000 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

### आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करें, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबंध किया गया है कि केन्द्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने के स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाता होता है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था, ₹3,56,367 करोड़ थी और ₹3,26,912 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2023-24 के लिए गारंटियों की निवल वृद्धि ₹12,618 करोड़ है जोकि जीडीपी का 0.04% है। सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1394.17 करोड़ की तुलना में ₹1358 करोड़ प्राप्त किए।

## सरकार की गारंटियां

(₹ करोड़)

| | विवरण | 31-मार्च-23 | 31-मार्च-24 | वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| I | भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को मूलधन और ब्याज आदि के पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां। | 62,209 | 58,755 | -3,454 |
| II | सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों को शेयर पूंजी के पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश के अदायगी, बांडों/ऋणों की अदायगी आदि के लिए गारंटियां। | 83,338 | 91,300 | 7,962 |
| III | मूलधन की पुनर्अदायगी, ऋण आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता विदेशी एजेंसियों सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां। | 1,56,195 | 1,62,230 | 6,035 |
| IV | कंपनियों/निगमों को आपूर्ति के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्र के लिए बैंकों को प्राति-गारंटियां। | - | - | - |
| V | रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को | - | - | - |
| VI | विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी। | 12,552 | 14,627 | 2,075 |
| VII | विदेशों में विदेशी कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी। | - | - | - |
| VIII | कोई अन्य | - | - | - |
| | **कुल** | **3,14,294** | **3,26,912** | **12,618** |

# विनियोग लेखे

संसद ने वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत ₹1,31,75,332 करोड़ के कुल प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹2,99,716 करोड़ के पूरक अनुदान के माध्यम से बढ़ाकर ₹1,34,75,048 कर दिया गया। अंतिम प्रावधान 1,34,75,048 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹16,29,260 करोड़ (14%) अधिक था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹1,34,75,048 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹87,51,394 करोड़ था जिसमें ₹15,13,782 करोड़ का अधिक व्यय शामिल है, जबकि स्वीकृत हिस्से के अंतर्गत व्यय ₹30,00,781 करोड़ था, जिसमें ₹2,09,091 करोड़ की बचतें शामिल हैं।

**विनियोग लेखे (सिविल) का सार**

(₹ करोड़)

| | मूल प्रावधान | अंतिम प्रावधान | अंतर | वास्तविक व्यय | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5)=(4)-(2) |
| प्रभारित | 1,02,61,868 | 1,02,65,176 | 3,308 | 87,51,394 | (-)15,13,782 |
| स्वीकृत | 29,13,464 | 32,09,872 | 2,96,408 | 30,00,781 | (-) 2,09,091 |
| **कुल** | **1,31,75,332** | **1,34,75,048** | **2,99,716** | **1,17,52,175** | **(-)17,22,873** |

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 26% था, शेष 74% प्रभारित व्यय था।

### प्रभारित व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुनर्अदायगी' (₹74,62,493 करोड़), ब्याज अदायगी (₹11,02,651 करोड़) और राज्यों की सरकारों को अंतरण (₹1,79,830 करोड़) था। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% होते हैं। विनियोग – ''ऋण की पुनर्अदायगी'' में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹66,09,342 करोड़ की राशि शामिल है।

### अधिक व्यय

अनुदानों के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में कुल प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय का एक मामला था।

| बजट प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुदान सं. | अनुदान/विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | वास्तविक व्यय | | अधिक व्यय | |
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 42 | राज्यों को अंतरण *प्रभारित* | - | *29,600* | - | *31,308* | - | *1,708* |

## बचत

वर्ष 2023-24 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹172,45,82 करोड़ की बचतें हुईं। कुल ₹1,708 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

| महत्वपूर्ण बचतें | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान/विनियोग | | भाग | बचतें (₹ करोड़) | कारण |
| सं. | विवरण | | | |
| 1 | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | राजस्व स्वीकृत | 13108 | कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में निधियों का कम अंतरण होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| 13 | दूरसंचार विभाग | राजस्व स्वीकृत | 8394 | वेतन एवं भत्तों, पुरस्कारों, स्थापना संबंधी अन्य व्यय तथा पेंशन प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| | | पूंजीगत स्वीकृत | 12644 | 5जी नेटवर्क एनालाईजर्स के लिए मशीनरी और उपकरणों के अधिप्राप्ति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, भारत नेट स्कीम/परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रलय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| 25 | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | राजस्व स्वीकृत | 5148 | आवर्ती अनुदानों के लिए राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| 39 | ब्याज अदायगी | राजस्व प्रभारित | 11320 | प्रतिभूतियों की नीलामी में अनुकूल दरें प्राप्त होने और ब्याज को सावरन ग्रीन बांडों में अंतरित किए जाने के कारण। |

| महत्वपूर्ण बचतें | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान/विनियोग | | भाग | बचतें (₹ करोड़) | कारण |
| सं. | विवरण | | | |
| 40 | ऋण की पुर्नअदायगी | पूंजीगत प्रभारित | 1485960 | सरकारी खाते में अधिशेष नकदी उपलब्ध होने तथा राज्य सरकार द्वारा कम निवेश किए जाने की वजह से अर्थोपाय अग्रिमों और नकदी प्रबंधन बिलों का उपयोग न किए जाने के कारण। |
| 42 | राज्यों को अंतरण | राजस्व प्रभारित | 16958 | उपबंधित शर्तो के पूरा न होने, पंद्रहवें वित्त आयोग में उपबंधित शर्तो को पूरा न किए जाने और कुछ राज्यों के लिए नोडल मंत्रालयों से कम सिफारिशें प्राप्त होने की वजह से राज्यों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण। |
| | | राजस्व स्वीकृत | 12317 | अप्रत्याशित आपदाओं, अनुदान जारी किए जाने के लिए सिफारिशों की प्राप्ति न होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| | | पूंजीगत स्वीकृत | 18446 | उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने अथवा राज्यों द्वारा स्कीम के अंतर्गत उपबंधित शर्तो को पूरा न किए जाने के कारण। |
| 46 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | राजस्व स्वीकृत | 5848 | कार्यपालक प्राधिकारियों और प्रतिभागी राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |
| 60 | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | राजस्व स्वीकृत | 8133 | पूर्व में जारी किए गए अव्ययित एसएनए बकाया के उपलब्ध होने की वजह से राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने की वजह से राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण। |
| 71 | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | राजस्व स्वीकृत | 5134 | कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |

| महत्वपूर्ण बचतें | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान/विनियोग | | भाग | बचतें (₹ करोड़) | कारण |
| सं. | विवरण | | | |
| 76 | पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | पूंजीगत स्वीकृत | 32529 | तेल विपणन कंपनियों हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निधियों के कम अनुमोदन, वैश्विक तेल बाजारों में मर्जिंग प्रवृत्तियों की वजह से प्रस्ताव स्थगित होने और अन्य संगत आर्थिक और राजकोषीय कारणों तथा इंडियन स्ट्रेटिजिक पैट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड में भूमि खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण। |
| 87 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व स्वीकृत | 8691 | राज्य सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा कार्य की धीमी गति होने के कारण। |

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

# शब्दावली

## आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151 (1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

## लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में ''नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें'' सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां 'कार्य का आवंटन नियमावली' के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

सरकार के पास संसद के प्राधिकार के बिना अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि भी रखी जाती है। वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि में वृद्धि होकर यह ₹500 करोड़ से ₹30,000 करोड़ हो गई है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट संविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

## लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सराकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन-देने) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का स्टॉक, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंत: निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जो को अनुदान में परिवर्तित करना आदि।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जो) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अत: भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

## लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

## मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

## राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

### पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप को ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें अचल परिसंपत्तियों, मशीनरी और उपकरण तथा सरकारी इक्विटी निवेश के अर्जन पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

### विनिमय दर में घट–बढ़

विदेशी कर्जो को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुर्नअदायगियों को भी पुर्नअदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनियम दर में घट–बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात् ''8680 – विविध सरकारी लेखे'' को व्ययित किया जाता है।

### बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य के रूप में जाना जाता है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय में दर्ज किया जाता है।

### लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय सरकार लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

### राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं

कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यत: बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

### प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

### प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकार्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

### अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं – सामान्य और विशेष।

### बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यत: वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

### उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

## लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

### I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन, आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियां को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुर्नअदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुर्नअदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपने कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6 - स्तरीय सौपानिक ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों (जोकि अधिकांशत: विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर संवैधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं) में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए (जैसे वेतन, कार्यालय व्यय)

व्यय लेनदेनों को 'योजना' और 'गैर-योजना' अथवा 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

### II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे पारित कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस

धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अलग सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

### III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जाने वाली हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उचंत और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष।

# परिशिष्ट


| | | |
|---|---|---|
| 1. | दस वर्षीय सारांश | 40 |
| 2. | करेतर राजस्व | 42 |
| 3. | वाणिज्यिक प्राप्तियां | 43 |
| 4. | मुख्य स्कीमों पर व्यय | 44 |
| 5. | मुख्य मदों पर व्यय | 46 |
| 6. | वेतन और भत्तों का व्यय | 48 |
| 7. | सहायिकियों का विवरण | 56 |
| 8. | मंत्रालयों/विभागों का व्यय | 59 |
| 9. | ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा | 74 |
| 10. | ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग | 75 |
| 11. | वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे का सारांश | 81 |
| 12. | वर्ष 2023-24 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय | 90 |

परिशिष्ट-1

# दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां | 11,01,381 | 11,95,025 | 13,75,956 | 14,35,078 | 15,53,011 | 16,84,059 | 16,33,919 | 21,69,906 | 23,83,207 | 27,29,036 |
| सकल कर राजस्व | 12,41,424 | 14,49,958 | 17,09,372 | 19,15,492 | 20,78,665 | 20,07,579 | 20,27,104 | 27,09,315 | 30,54,192 | 34,65,519 |
| निगम कर | 4,28,925 | 4,53,229 | 4,84,924 | 5,71,202 | 6,63,572 | 5,56,876 | 4,57,719 | 7,12,037 | 8,25,834 | 9,11,055 |
| वस्तु और सेवा कर | | | | 4,42,561 | 5,81,559 | 5,98,729 | 5,48,778 | 6,98,114 | 8,49,132 | 9,57,215 |
| आयकर | 2,58,325 | 2,80,323 | 3,40,505 | 4,08,091 | 4,61,488 | 4,80,097 | 4,87,143 | 6,96,243 | 8,33,260 | 10,44,240 |
| सीमा शुल्क | 1,88,016 | 2,10,338 | 2,25,370 | 1,29,030 | 1,17,813 | 1,09,283 | 1,34,750 | 1,99,728 | 2,13,371 | 2,33,119 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 1,89,038 | 2,87,148 | 3,80,495 | 2,58,636 | 2,30,992 | 2,39,452 | 3,89,667 | 3,90,808 | 3,19,000 | 3,05,362 |
| सेवा कर | 1,67,969 | 2,11,414 | 2,54,499 | 81,228 | 6,904 | 6,029 | 1,615 | 1,012 | 431 | 425 |
| केंद्र को निवल कर राजस्व | 9,03,615 | 9,43,765 | 11,01,372 | 12,42,487 | 13,17,211 | 13,56,902 | 14,26,287 | 18,04,794 | 20,97,786 | 23,27,251 |
| करेतर राजस्व | 1,97,766 | 2,51,260 | 2,74,584 | 1,92,591 | 2,35,800 | 3,27,157 | 2,07,632 | 3,65,112 | 2,85,421 | 4,01,785 |
| ब्याज प्राप्तियां | 23,712 | 25,378 | 16,229 | 13,574 | 12,145 | 12,349 | 17,113 | 21,874 | 27,852 | 38,261 |
| लाभांश और लाभ | 89,833 | 1,12,127 | 1,23,017 | 91,360 | 1,13,420 | 1,86,133 | 96,878 | 1,60,647 | 99,914 | 1,70,877 |
| ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां | 51,475 | 62,975 | 65,513 | 1,15,678 | 1,12,684 | 68,620 | 57,626 | 39,375 | 72,196 | 59,768 |
| विनिवेश आय | 1,415 | 1,249 | 2,921 | 2,802 | 4,449 | 9,010 | 1,725 | 2,936 | 475 | 1,638 |
| व्यय | 16,63,673 | 17,90,783 | 19,79,268 | 21,41,818 | 23,15,113 | 26,86,870 | 35,09,836 | 37,93,800 | 41,93,157 | 44,43,447 |
| योजना व्यय | 4,62,643 | 4,71,083 | 5,68,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गैर योजना व्यय | 12,01,030 | 14,10,669 | 14,10,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्व व्यय | 14,66,992 | 15,37,761 | 16,92,986 | 18,78,679 | 20,07,399 | 23,50,605 | 30,83,519 | 32,00,926 | 34,53,132 | 34,94,252 |
| पूंजीगत व्यय | 1,96,681 | 2,53,022 | 2,86,282 | 2,63,139 | 3,07,714 | 3,36,265 | 4,26,317 | 5,92,874 | 7,40,025 | 9,49,195 |
| उधार ऋणात्मक पुर्नअदायगी | 15,375 | 5,394 | 19,040 | 11,497 | 24,411 | 26,495 | 2,19,922 | 2,07,256 | 1,05,785 | 74,336 |
| राजकोषीय घाटा | 5,10,817 | 5,32,783 | 5,37,799 | 5,91,062 | 6,49,418 | 9,34,191 | 18,18,291 | 15,84,519 | 17,37,754 | 16,54,643 |

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व घाटा | 3,65,611 | 3,42,736 | 3,17,030 | 4,43,601 | 4,54,388 | 6,66,546 | 14,49,600 | 10,31,020 | 10,69,925 | 7,65,216 |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 2,34,851 | 2,11,781 | 1,50,470 | 2,51,081 | 2,63,168 | 4,79,204 | 12,27,209 | 7,88,374 | 7,63,661 | 4,61,300 |
| प्रारंभिक घाटा | 1,08,373 | 91,124 | 57,085 | 62,110 | 66,770 | 3,22,121 | 11,38,422 | 7,79,020 | 8,09,237 | 5,90,771 |
| लोक ऋण (शेष) | 51,04,675 | 57,11,425 | 61,49,817 | 68,46,557 | 75,49,380 | 85,64,884 | 1,05,24,371 | 1,21,20,677 | 1,38,22,188 | 1,54,94,255 |
| आंतरिक ऋण | 47,38,291 | 53,04,836 | 57,41,709 | 64,01,275 | 70,74,942 | 80,20,490 | 99,09,543 | 1,14,62,343 | 1,30,73,732 | 1,46,98,177 |
| बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य) | 3,66,384 | 4,06,589 | 4,08,108 | 4,45,282 | 4,74,439 | 5,44,394 | 6,14,828 | 6,58,334 | 7,48,456 | 7,96,078 |
| भारत सरकार की अन्य देयताएं | 6,71,010 | 7,11,608 | 7,56,448 | 8,06,929 | 8,82,119 | 8,79,324 | 10,49,428 | 10,21,211 | 10,86,146 | 11,69,948 |
| सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) | 12653762 | 13576000 | 15183709 | 16773000 | 19010000 | 20340000 | 19746000 | 23665000 | 27241000 | 30123000 |
| **सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत** | | | | | | | | | | |
| राजस्व प्राप्तियां | 8.70 | 8.80 | 9.06 | 8.56 | 8.17 | 8.28 | 8.27 | 9.17 | 8.75 | 9.06 |
| सकल कर राजस्व | 9.81 | 10.68 | 11.26 | 11.42 | 10.93 | 9.87 | 10.27 | 11.45 | 11.21 | 11.50 |
| वस्तु एवं सेवा कर | | | | 2.64 | 3.06 | 2.94 | 2.78 | 2.95 | 3.12 | 3.18 |
| करेतर राजस्व | 1.56 | 1.85 | 1.81 | 1.15 | 1.24 | 1.61 | 1.05 | 1.54 | 1.05 | 1.33 |
| व्यय | 13.15 | 13.19 | 13.04 | 12.77 | 12.18 | 13.21 | 17.77 | 16.03 | 15.39 | 14.75 |
| राजस्व व्यय | 11.59 | 11.33 | 11.15 | 11.20 | 10.56 | 11.56 | 15.62 | 13.53 | 12.68 | 11.60 |
| पूंजीगत व्यय | 1.55 | 1.86 | 1.89 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 2.16 | 2.51 | 2.72 | 3.15 |
| राजकोषीय घाटा | 4.04 | 3.92 | 3.54 | 3.52 | 3.42 | 4.59 | 9.21 | 6.70 | 6.38 | 5.49 |
| राजस्व घाटा | 2.89 | 2.52 | 2.09 | 2.64 | 2.39 | 3.28 | 7.34 | 4.36 | 3.93 | 2.54 |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 1.50 | 1.38 | 2.36 | 6.21 | 3.33 | 2.80 | 1.53 |
| लोक ऋण | 40.34 | 42.07 | 40.50 | 40.82 | 39.71 | 42.11 | 53.30 | 51.22 | 50.74 | 50.72 |
| आंतरिक ऋण | 37.45 | 39.08 | 37.81 | 38.16 | 37.22 | 39.43 | 50.19 | 48.44 | 47.99 | 48.79 |
| बाह्य ऋण | 2.90 | 2.99 | 2.69 | 2.65 | 2.50 | 2.68 | 3.11 | 2.78 | 2.75 | 1.93 |

परिशिष्ट-2

# करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

| | विवरण | 2023-24 संशोधित अनुमान | 2023-24 वास्तविक | 2023-24 % | 2022-23 संशोधित अनुमान | 2022-23 वास्तविक | 2022-23 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क | **ब्याज प्राप्तियां** | | | | | | |
| | सकल | 70,504.85 | 78,652.02 | 112 | 55,562.12 | 59,550.41 | 107 |
| | घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां | 37,113.44 | 38,778.00 | 104 | 29,422.56 | 30,198.18 | 103 |
| | ब्याज का अधित्याग | 1,613.41 | 1,613.41 | 100 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100 |
| | निवल | **31,778.00** | **38,260.61** | **120** | **24,639.56** | **27,852.23** | **119** |
| ख | **लाभांश और लाभ** | **1,54,407.00** | **1,70,876.97** | **111** | **83,953.33** | **99,913.84** | **109** |
| ग | **संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व** | **2,525.71** | **3,065.66** | **121** | **2,235.72** | **2,190.66** | **98** |
| घ | **अन्य करेतर राजस्व** | | | | | | |
| | 1. राजकोषीय सेवाएं - | 1,769.59 | 1,858.12 | 105 | 1,308.83 | 1,127.65 | 86 |
| | अन्य सामान्य सेवाएं | 52,509.46 | 56,002.32 | 107 | 47,518.09 | 48,254.21 | 102 |
| | घटाएं - वाणिज्यिक विभाग | 26,125.00 | 28,420.57 | 109 | 23,232.00 | 23,889.10 | 103 |
| | घटाएं - गारंटी शुल्क की माफी | 325.72 | 239.48 | 74 | 72.58 | 41.50 | 57 |
| | घटाएं - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां | 1,000.00 | 0.00 | 0 | 1,000.00 | 0.00 | 0 |
| | 2. निवल सामान्य सेवाएं | 25,058.74 | 27,342.27 | 109 | 23,213.51 | 24,323.61 | 105 |
| | 3. सामाजिक सेवाएं - | 6,080.25 | 7,669.80 | 126 | 4,018.56 | 6,887.94 | 171 |
| | आर्थिक सेवाएं - | | | | | | |
| | सकल | 1,71,258.88 | 1,69,623.17 | 99 | 1,38,229.88 | 1,39,443.13 | 101 |
| | घटाएं- वाणिज्यिक विभाग | 18,403.95 | 17,816.69 | 97 | 18,420.21 | 18,204.42 | 99 |
| | घटाएं - ऋण माफी | 105.09 | 105.09 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | घटाएं - गेट प्राप्तियां | 16.00 | 2.22 | 14 | 8.00 | 1.10 | 14 |
| | 4. निवल आर्थिक सेवाएं | 1,52,733.84 | 1,51,699.17 | 99 | 1,19,801.67 | 1,21,237.61 | 101 |
| | **निवल कुल - अन्य करेतर राजस्व** ( 1+2+3+4 ) | **1,85,642.42** | **1,88,569.36** | **102** | **1,48,342.57** | **1,54,250.47** | **104** |
| | सहायता अनुदान और अंशदान | 1,441.87 | 1,012.74 | 70 | 2,579.82 | 1,887.11 | 73 |
| | **जोड़** | **3,75,795.00** | **4,01,785.34** | **107** | **2,61,751.00** | **2,85,420.65** | **109** |

परिशिष्ट-3

# वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

| विवरण | 2023-24 | | | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संशोधित अनुमान | वास्तविक | % | संशोधित अनुमान | वास्तविक | % |
| **सामान्य सेवाएं** | | | | | | |
| 1. कैंटीन स्टोर डिपो | 26,125.00 | 28,420.57 | 108.79 | 23,232.00 | 23,889.10 | 102.83 |
| **आर्थिक सेवाएं** | | | | | | |
| 2. दिल्ली दुग्ध योजना | 270.00 | 141.94 | 52.57 | 335.80 | 274.21 | 81.66 |
| 3. अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां | 270.00 | 226.05 | 83.72 | 275.00 | 284.50 | 103.45 |
| 4. ईंधन निर्माण सुविधाएं | 2,987.62 | 2,999.43 | 100.40 | 2,710.80 | 2,666.88 | 98.38 |
| 5. ईंधन माल सूची | 3,073.29 | 2,702.00 | 87.92 | 2,488.20 | 3,681.08 | 147.94 |
| 6. भारी पानी पूल प्रबंधन | 1,550.00 | 1,550.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| 7. प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत | 395.00 | 425.91 | 107.83 | 380.00 | 379.86 | 99.96 |
| 8. डाक प्राप्तियां | 11,408.04 | 11,321.36 | 99.24 | 12,230.41 | 10,917.89 | 89.27 |
| 9. भारतीय रेल | 2,58,600.00 | 2,56,093.42 | 99.03 | 2,42,892.77 | 2,40,176.96 | 98.88 |
| **जोड़** | **3,04,678.95** | **3,03,880.68** | **99.74** | **2,86,044.98** | **2,83,770.48** | **99.20** |

परिशिष्ट-4

# 2023-24 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

(₹ करोड़)

| क्र. सं. | मंत्रालय | स्कीम | 2023-24 बजट अनुमान | 2023-24 संशोधित अनुमान | 2023-24 वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि | राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना | 7150.00 | 6150.00 | 6260.93 |
| | | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 13625.00 | 15000.00 | 14448.50 |
| | | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | 60000.00 | 60000.00 | 63440.74 |
| 2 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) | 3365.00 | 1900.00 | 1390.03 |
| | | राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम | 3080.00 | 2421.00 | 2313.45 |
| | | प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना | 7200.00 | 6800.00 | 6651.46 |
| | | भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (चरण-II) (डीबीएस) (सीएसएस) | | | |
| 3 | आयुष | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) | 1200.00 | 815.00 | 869.29 |
| 4 | शिक्षा | समग्र शिक्षा | 37453.00 | 33000.00 | 32527.83 |
| | | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) | 11600.00 | 10000.00 | 8432.22 |
| | | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान | 1500.00 | 500.00 | 186.00 |
| 5 | महिला एवं बाल विकास | सक्षम आंगनवाणी और पोषण 2.0 | 20554.00 | 21523.00 | 21809.66 |
| | | मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा और बाल कल्याण) | 1472.00 | 1272.00 | 1390.71 |
| | | मिशन शक्ति | 3144.00 | 2326.00 | 1522.00 |

| क्र. सं. | मंत्रालय | स्कीम | 2022-23 बजट अनुमान | 2022-23 संशोधित अनुमान | 2022-23 वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | आवासन और शहरी कार्य | प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) | 25103.00 | 22103.00 | 21684.33 |
| | | मेट्रो परियोजनाएं | 19518.00 | 19508.00 | 19449.83 |
| | | अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन | 16000.00 | 13200.00 | 13574.79 |
| | | स्वच्छ भारत मिशन - शहरी | 5000.00 | 2550.00 | 2392.28 |
| 7 | ग्रामीण विकास | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम | 60000.00 | 86000.00 | 89351.45 |
| | | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | 2200.00 | 1750.00 | 1689.97 |
| | | राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका | 14129.00 | 14129.00 | 13934.13 |
| | | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 9636.00 | 9652.00 | 9491.10 |
| | | प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) | 54487.00 | 32000.00 | 23050.43 |
| | | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 19000.00 | 17000.00 | 14049.78 |
| 8 | पेयजल एवं स्वच्छता | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन/जल जीवन मिशन (जेजेएम) | 70000.00 | 70000.00 | 69992.34 |
| | | स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण | 7192.00 | 7000.00 | 6802.58 |
| 9 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम | 3959.00 | 2600.00 | 2392.00 |
| 10 | जल शक्ति | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमएसकेवाई) | 8587.00 | 7031.00 | 8404.03 |
| 11 | सड़क और परिवहन | सड़क निर्माण कार्य | 107713.00 | 108520.00 | 108060.50 |
| | | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | 162207.00 | 167400.00 | 167392.32 |

परिशिष्ट-5

# वर्ष 2023-2024 में मुख्य मदों पर व्यय

(₹ करोड़)

| मद | प्रकार | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| पेंशन | राजस्व | 238049 | 237495.00 |
| रक्षा | राजस्व | 298669 | 290443.00 |
| | पूंजीगत | 157228 | 154256.00 |
| **सब्सिडी** | | | |
| उर्वरक | राजस्व | 188894 | 189487.00 |
| खाद्य | राजस्व | 212332 | 211814.00 |
| पेट्रोलियम | राजस्व | 12240 | 12240.00 |
| कृषि तथा संबद्ध कार्याकलाप | राजस्व | 140034 | 129880.00 |
| | पूंजीगत | 499 | 11114.00 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | राजस्व | 1799 | 587.00 |
| | पूंजीगत | 4093 | 1041.00 |
| शिक्षा | राजस्व | 108765 | 102149.00 |
| | पूंजीगत | 113 | 97.00 |
| ऊर्जा | राजस्व | 39804 | 39339.00 |
| | पूंजीगत | 15185 | 14719.00 |
| स्वास्थ्य | राजस्व | 76505 | 79592.00 |
| | पूंजीगत | 2716 | 2002.00 |
| ब्याज अदायगी | राजस्व | 1055427 | 1063872 |
| गृह मामले | राजस्व | 122218 | 120390.00 |
| | पूंजीगत | 11142 | 10438.00 |
| परिवहन | राजस्व | 18477 | 18371.00 |
| | पूंजीगत | 506464 | 508395.00 |
| सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार | राजस्व | 25273 | 23370.00 |
| | पूंजीगत | 70508 | 59770.00 |
| ग्रामीण विकास | राजस्व | 238974 | 229185.00 |
| | पूंजीगत | 10 | 8.00 |

| मद | प्रकार | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| राज्यों को अंतरण | राजस्व | 158429 | 165722.00 |
| | पूंजीगत | 115556 | 122872.00 |
| संघ राज्य क्षेत्र | राजस्व | 62471 | 61917.00 |
| | पूंजीगत | 4205 | 4127.00 |
| शहरी विकास | राजस्व | 42737 | 42124.00 |
| | पूंजीगत | 26534 | 26441.00 |
| कर प्रशासन | राजस्व | 44970 | 45201.00 |
| | पूंजीगत | 3725 | 3019.00 |
| जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण | राजस्व | 145000 | 143109.00 |
| वित्त | राजस्व | 17757 | 17242.00 |
| | पूंजीगत | 6224 | 6159.00 |
| वैज्ञानिक विभाग | राजस्व | 21747 | 20058.00 |
| | पूंजीगत | 4904 | 4598.00 |
| समाज कल्याण | राजस्व | 46566 | 41898.00 |
| | पूंजीगत | 175 | 165.00 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | राजस्व | 44961 | 42366.00 |
| | पूंजीगत | 2390 | 2376.00 |
| योजना और सांख्यिकी | राजस्व | 4425 | 2730.00 |
| | पूंजीगत | 50 | 25.00 |
| विदेश मामले | राजस्व | 27146 | 26948.00 |
| | पूंजीगत | 1976 | 1967.00 |
| | | 45100 | 41100.00 |
| अन्य | राजस्व | 101470 | 95623.00 |
| | पूंजीगत | 16549 | 17982.00 |
| **जोड़** | **राजस्व** | **3540239** | **3494252.00** |
| | **पूंजीगत** | **950246** | **949195.00** |

परिशिष्ट-6

# वर्ष 2023-24 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय

(₹ करोड़)

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** | |
| 1 | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | 383.98 |
| 2 | कृषि अनुसंधाान और शिक्षा विभाग | 13.00 |
| | **परमाणु ऊर्जा विभाग** | |
| 3 | परमाणु ऊर्जा | 4,055.32 |
| | **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)** | |
| 4 | आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) | 29.55 |
| | **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** | |
| 5 | रसायन और पेट्रोरसायन विभाग | 21.52 |
| 6 | उर्वरक विभाग | 27.61 |
| 7 | औषध विभाग | 15.59 |
| | **नागर विमानन मंत्रालय** | |
| 8 | नागर विमानन मंत्रालय | 192.01 |
| | **कोयला मंत्रालय** | |
| 9 | कोयला मंत्रालय | 28.74 |
| | **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** | |
| 10 | वाणिज्य विभाग | 457.71 |
| 11 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | 324.21 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **संचार मंत्रालय** | |
| 12 | डाक विभाग | 20,256.84 |
| 13 | दूरसंचार विभाग | 567.04 |
| | **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** | |
| 14 | उपभोक्ता मामले विभाग | 89.38 |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | 80.54 |
| | **सहकारिता मंत्रालय** | |
| 16 | सहकारिता मंत्रालय | 15.73 |
| | **कारपोरेट कार्य मंत्रालय** | |
| 17 | कारपोरेट कार्य मंत्रालय | 170.56 |
| | **संस्कृति मंत्रालय** | |
| 18 | संस्कृति मंत्रालय | 480.96 |
| | **रक्षा मंत्रालय** | |
| 19 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | 7,331.00 |
| 20 | रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवा राजस्व) | 1,81,202.09 |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय** | |
| 23 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | 27.28 |
| | **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** | |
| 24 | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 531.27 |
| | **शिक्षा मंत्रालय** | |
| 25 | स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग | 32.91 |
| 26 | उच्चतर शिक्षा विभाग | 122.51 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** | |
| 27 | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 1,003.90 |
| | **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** | |
| 28 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 332.60 |
| | **विदेश मंत्रालय** | |
| 29 | विदेश मंत्रालय | 2,727.06 |
| | **वित्त मंत्रालय** | |
| 30 | आर्थिक कार्य विभाग | 121.70 |
| 31 | व्यय विभाग | 152.07 |
| 32 | वित्तीय सेवाएं विभाग | 128.26 |
| 34 | निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग | 13.18 |
| 35 | राजस्व विभाग | 516.62 |
| 36 | प्रत्यक्ष कर – सीबीडीटी | 5,610.58 |
| 37 | अप्रत्यक्ष कर – सीबीआईसी | 6,642.51 |
| 38 | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग | 4,889.03 |
| 33 | लोक उद्यम विभाग | 11.12 |
| | **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** | |
| 43 | मत्स्य पालन विभाग | 66.47 |
| 44 | पशुपालन और डेयरी विभाग | 112.44 |
| | **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** | |
| 45 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 24.27 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** | |
| 46 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 3,575.61 |
| 47 | स्वास्थ्य अनुसंधाान विभाग | 4.65 |
| | **भारी उद्योग मंत्रालय** | |
| 48 | भारी उद्योग विभाग | 23.31 |
| | **गृह मंत्रालय** | |
| 49 | गृह मंत्रालय | 1,917.42 |
| 50 | मंत्रिमंडल | 165.08 |
| 51 | पुलिस | 95,045.17 |
| | **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** | |
| 60 | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | 1692.02 |
| | **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** | |
| 61 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 344.86 |
| | **जल शक्ति मंत्रालय** | |
| 62 | जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | 838.09 |
| 63 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 19.34 |
| | **श्रम और रोजगार मंत्रालय** | |
| 64 | श्रम और रोजगार मंत्रालय | 440.26 |
| | **विधि और न्याय मंत्रालय** | |
| 65 | विधि और न्याय | 201.12 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 66 | निर्वाचन आयोग | 71.10 |
| 67 | भारत का उच्चतम न्यायालय | 322.66 |
| | **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** | |
| 68 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 154.37 |
| | **खान मंत्रालय** | |
| 69 | खान मंत्रालय | 949.15 |
| | **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** | |
| 70 | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | 62.74 |
| | **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** | |
| 71 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 29.77 |
| | **पंचायती राज मंत्रालय** | |
| 72 | पंचायती राज मंत्रालय | 13.28 |
| | **संसदीय कार्य मंत्रालय** | |
| 73 | संसदीय कार्य मंत्रालय | 15.15 |
| | **कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय** | |
| 74 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 995.30 |
| 75 | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 34.71 |
| | **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय** | |
| 76 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 31.47 |
| | **योजना मंत्रालय** | |
| 77 | योजना मंत्रालय | 70.78 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय** | |
| 78 | पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय | 165.34 |
| | **विद्युत मंत्रालय** | |
| 79 | विद्युत मंत्रालय | 149.29 |
| | **राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय** | |
| 80 | राष्ट्रपति सचिवालय | 47.61 |
| 81 | लोक सभा | 502.01 |
| 82 | राज्य सभा | 288.43 |
| 83 | उप-राष्ट्रपति सचिवालय | 4.85 |
| 84 | संघ लोक सेवा आयोग | 136.11 |
| | **रेल मंत्रालय** | |
| 85 | रेल मंत्रालय | 97,139.06 |
| | **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** | |
| 86 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 109.71 |
| | **ग्रामीण विकास मंत्रालय** | |
| 87 | ग्रामीण विकास विभाग | 53.46 |
| 88 | भू-संसाधान विभाग | 11.86 |
| | **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** | |
| 89 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 399.33 |
| 90 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 27.95 |
| 91 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधाान विभाग | 12.58 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय** | |
| 92 | कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय | 140.64 |
| | **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** | |
| 93 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 60.43 |
| 94 | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 15.28 |
| | **अंतरिक्ष मंत्रालय** | |
| 95 | अंतरिक्ष विभाग | 2,610.02 |
| | **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** | |
| 96 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 506.23 |
| | **इस्पात मंत्रालय** | |
| 97 | इस्पात मंत्रालय | 27.88 |
| | **वस्त्र मंत्रालय** | |
| 98 | वस्त्र मंत्रालय | 194.01 |
| | **पर्यटन मंत्रालय** | |
| 99 | पर्यटक मंत्रालय | 35.45 |
| | **जनजातीय कार्य मंत्रालय** | |
| 100 | जनजातीय कार्य मंत्रालय | 26.60 |
| | **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** | |
| 101 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 42.14 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|
| | **युवा मामले और खेल मंत्रालय** | |
| 102 | युवा मामले और खेल मंत्रालय | 35.26 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र ( बिना विधानमण्डल वाले )** | |
| 52 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2113.16 |
| 53 | चंडीगढ़ | 2,750.30 |
| 54 | दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 469.88 |
| 55 | लद्दाख | 1,437.07 |
| 56 | लक्षद्वीप | 398.40 |
| | **जोड़** | **4,55,736.91** |

परिशिष्ट-7

# सहायिकियों का विवरण ( 2022-23 )

(₹ करोड़)

| श्रेणी | अनुदान सं. | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|
| **मुख्य सहायिकियां ----------** | | | **197350.00** | **212332.00** | **211814.39** |
| खाद्य सहायिकी | **15** | **2408** | **197350.00** | **212332.00** | **211814.39** |
| उर्वरक सहायिकी | | | **175099.92** | **188893.80** | **188291.62** |
| क. यूरिया सहायिकी | 6 | 2852 | 131099.92 | 128593.80 | 123092.04 |
| ख. पोषक तत्व आधारित सहायिकी | 6 | 2401 | 44000.00 | 60300.00 | 65199.58 |
| **पेट्रोलियम सहायिकी** | | | 2257.09 | 12240.00 | 12240.00 |
| एलपीजी सहायिकी | 75 | 2802 | 2257.09 | 12240.00 | 12240.00 |
| **कुल मुख्य सहायिकी** | | | **374707.01** | **413465.80** | **412346.01** |
| **ब्याज सहायिकियां ------------** | | | | | |
| किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता | 1 | 2416, 2552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायिकी | 32 | 2885 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए भारतीय बीमा निगम को ब्याज सहायिकी | 32 | 2235 | 111.47 | 134.96 | 134.96 |
| ब्याज समीकरण योजना | 10 | 3453 | 2932.00 | 3700.00 | 3699.99 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए ऋण संबंद्ध सहायिकी स्कीम | 60 | 2216 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

| श्रेणी | अनुदान सं. | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|
| मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए ऋण संबंद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)- II | 59 | 2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत ब्याज सहायिकी | 86 | 2216 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| उच्चतर शिक्षा विभाग में गारंटी निधियों के लिए ब्याज सहायिकी और अंशदान | 25 | 2202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ऋण सहायता कार्यक्रम | 68 | 2851 | 500.08 | 500.00 | 500.00 |
| अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायिकी | 70 | 2235 | 21.00 | 7.00 | 0.00 |
| संशोधित ब्याज छूट स्कीम | 1 | 2851 | 23000.00 | 18500.00 | 14251.93 |
| एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज छूट योजना | 67 | 2851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सहायिकी | 79 | 2801 | 500.00 | 538.00 | 453.71 |
| कृषि अवसंरचना निधि | 1 | 2401, 2552 | 500.00 | 600.00 | 475.23 |
| गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना | 32 | | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को शिशु ऋण (सब्सिडी) के शीघ्र भुगतान के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट पर सब्सिडी | 32 | 2885 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| **कुल ब्याज सहायिकियां** | | | **27564.59** | **23979.99** | **19515.82** |
| **अन्य सहायिकियां** -------- | | | | | |
| 2019-20 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य समर्थन स्कीम (एमआईएस-पीएसएस) | 1 | 2401, 2552 | 0.01 | 40.00 | 0.00 |

| श्रेणी | अनुदान सं. | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---|---|---|---|---|---|
| परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम | 11 | 2885 | 50.00 | 85.00 | 84.98 |
| मूल्य स्थिरीकरण कोष | 15 | 3456 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| बाजार प्रचालन के लिए जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायिकी | 98 | 2852 | 42.00 | 28.00 | 28.00 |
| मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति | 98 | 2852 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति | 11 | 2885 | 200.00 | 220.00 | 219.75 |
| जहाज निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहायता | 78 | 2852 | 112.00 | 112.00 | 99.12 |
| जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों हेतु पैकेज | 11 | 2885 | 8.00 | 5.00 | 4.36 |
| चीनी का बफर स्टॉक बनाने तथा उसके रख-रखाव हेतु स्कीम | 15 | 2408 | | 0.46 | 0.46 |
| एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना | 1 | 2401, 3601, 2552 | 0.01 | 2200.00 | 2200.00 |
| निर्यात से संबंधित आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों पर आने वाले व्यय की अदायगी हेतु स्कीम | | | | | |
| **कुल-अन्य सहायिकियां** | | | **812.04** | **3090.48** | **3036.67** |

परिशिष्ट-8

# मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2023-24

## (दर्शाए गए आंकड़े और प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 1 | **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण** | **116788.96** | **108355.77** |
| | राजस्व | 116701.24 | 108315.45 |
| | पूंजीगत | 87.72 | 40.32 |
| 2 | **कृषि अनुसंधान और शिक्षा** | **9876.60** | **9790.79** |
| | राजस्व | 9866.64 | 9787.40 |
| | पूंजीगत | 9.96 | 3.39 |
| 3 | **परमाणु ऊर्जा** | **26799.78** | **25882.89** |
| | राजस्व | 11796.03 | 11340.81 |
| | पूंजीगत | 15003.75 | 14542.08 |
| 4 | **आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)** | **3000.00** | **2671.73** |
| | राजस्व | 2994.12 | 2668.01 |
| | पूंजीगत | 5.88 | 3.72 |
| 5 | **रसायन और पेट्रो रसायन** | **572.63** | **468.14** |
| | राजस्व | 84.26 | 67.51 |
| | पूंजीगत | 488.37 | 400.63 |
| 6 | **उर्वरक** | **188947.29** | **188328.94** |
| | राजस्व | 188944.60 | 188327.32 |
| | पूंजीगत | 2.69 | 1.62 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 7 | **औषध निर्माण** | **2697.95** | **2368.20** |
| | राजस्व | 2696.97 | 2367.40 |
| | पूंजीगत | 0.98 | 0.80 |
| 8 | **नागर विमानन** | **2922.12** | **2757.14** |
| | राजस्व | 2150.35 | 2001.96 |
| | पूंजीगत | 771.77 | 755.18 |
| 9 | **कोयला** | **189.04** | **178.18** |
| | राजस्व | 187.49 | 176.76 |
| | पूंजीगत | 1.55 | 1.42 |
| 10 | **वाणिज्य** | **6050.01** | **6017.86** |
| | राजस्व | 6021.31 | 5990.57 |
| | पूंजीगत | 28.70 | 27.29 |
| 11 | **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** | **6403.79** | **6353.91** |
| | राजस्व | 4741.48 | 4698.02 |
| | पूंजीगत | 1662.31 | 1655.89 |
| 12 | **डाक** | **24389.20** | **24455.17** |
| | राजस्व | 22808.50 | 23068.28 |
| | पूंजीगत | 1580.70 | 1386.89 |
| 13 | **दूरसंचार** | **98359.41** | **86883.95** |
| | राजस्व | 28259.98 | 27503.76 |
| | पूंजीगत | 70099.43 | 59380.19 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 14 | **उपभोक्ता मामले** | **309.26** | **272.58** |
| | राजस्व | 258.82 | 223.93 |
| | पूंजीगत | 50.44 | 48.65 |
| 15 | **खाद्य और सार्वजनिक वितरण** | **221924.64** | **232223.47** |
| | राजस्व | 221722.71 | 221334.31 |
| | पूंजीगत | 201.93 | 10889.16 |
| 16 | **सहकारिता** | **747.84** | **688.88** |
| | राजस्व | 746.34 | 687.67 |
| | पूंजीगत | 1.50 | 1.21 |
| 17 | **कारपोरेट कार्य** | **617.43** | **583.61** |
| | राजस्व | 575.43 | 545.88 |
| | पूंजीगत | 42.00 | 37.73 |
| 18 | **संस्कृति** | **3460.00** | **3385.22** |
| | राजस्व | 3372.60 | 3321.73 |
| | पूंजीगत | 87.40 | 63.49 |
| 19 | **रक्षा ( विविध )** | **25896.99** | **22712.09** |
| | राजस्व | 15354.24 | 12409.19 |
| | पूंजीगत | 10542.75 | 10302.90 |
| 20 | **रक्षा सेवाएं ( राजस्व )** | **298668.75** | **290442.92** |
| | राजस्व | 298668.75 | 290442.92 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 21 | **रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय** | **157228.20** | **154256.28** |
| | राजस्व | 0.00 | 0.00 |
| | पूंजीगत | 157228.20 | 154256.28 |
| 22 | **रक्षा पेंशन** | **142095.00** | **142093.00** |
| | राजस्व | 142095.00 | 142093.00 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 23 | **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास** | **5892.00** | **1627.89** |
| | राजस्व | 1798.75 | 586.77 |
| | पूंजीगत | 4093.25 | 1041.12 |
| 24 | **पृथ्वी विज्ञान** | **2879.02** | **2394.56** |
| | राजस्व | 2466.18 | 2244.28 |
| | पूंजीगत | 412.84 | 150.28 |
| 25 | **स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता** | **72473.80** | **67972.27** |
| | राजस्व | 72473.15 | 67971.82 |
| | पूंजीगत | 0.65 | 0.45 |
| 26 | **उच्चतर शिक्षा** | **57244.48** | **55392.68** |
| | राजस्व | 57231.96 | 55385.36 |
| | पूंजीगत | 12.52 | 7.32 |
| 27 | **इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** | **14421.25** | **12766.34** |
| | राजस्व | 14012.39 | 12376.71 |
| | पूंजीगत | 408.86 | 389.63 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 28 | **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन** | **3231.02** | **3113.60** |
| | राजस्व | 3152.64 | 3035.75 |
| | पूंजीगत | 78.38 | 77.85 |
| 29 | **विदेश मामले** | **29121.88** | **28914.51** |
| | राजस्व | 27145.95 | 26947.87 |
| | पूंजीगत | 1975.93 | 1966.64 |
| 30 | **आर्थिक कार्य** | **18227.26** | **17872.62** |
| | राजस्व | 12655.94 | 12315.22 |
| | पूंजीगत | 5571.32 | 5557.40 |
| 31 | **व्यय** | **469.04** | **428.94** |
| | राजस्व | 378.20 | 380.38 |
| | पूंजीगत | 90.84 | 48.56 |
| 32 | **वित्तीय सेवाएं** | **4608.62** | **4464.61** |
| | राजस्व | 4090.03 | 3949.45 |
| | पूंजीगत | 518.59 | 515.16 |
| 33 | **लोक उद्यम** | **32.57** | **30.65** |
| | राजस्व | 29.97 | 28.08 |
| | पूंजीगत | 2.60 | 2.57 |
| 34 | **निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन** | **60.03** | **53.50** |
| | राजस्व | 58.57 | 52.27 |
| | पूंजीगत | 1.46 | 1.23 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 35 | **राजस्व** | **146950.64** | **146866.15** |
| | राजस्व | 146643.88 | 146606.19 |
| | पूंजीगत | 306.76 | 259.96 |
| 36 | **प्रत्यक्ष कर-सीबीडीटी** | **10028.69** | **9815.48** |
| | राजस्व | 8818.30 | 8633.60 |
| | पूंजीगत | 1210.39 | 1181.88 |
| 37 | **अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी** | **36716.10** | **34644.85** |
| | राजस्व | 34508.44 | 33067.65 |
| | पूंजीगत | 2207.66 | 1577.20 |
| 38 | **भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा** | **5967.37** | **5920.95** |
| | राजस्व | 5760.06 | 5744.31 |
| | पूंजीगत | 207.31 | 176.64 |
| 39 | **वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग)** | **1055427.21** | **1063872.17** |
| | राजस्व | 1055427.21 | 1063872.17 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 40 | **वित्त-ऋण की पुनर्अदायगी** | **0.00** | **0.00** |
| | राजस्व | 0.00 | 0.00 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 41 | **पेंशन** | **74701.00** | **74663.01** |
| | राजस्व | 74701.00 | 74663.01 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 42 | **वित्त-राज्यों का अंतरण** | **273984.89** | **288593.53** |
| | राजस्व | 158429.01 | 165721.63 |
| | पूंजीगत | 115555.88 | 122871.90 |
| 43 | **मत्स्यपालन** | **1701.00** | **1288.82** |
| | राजस्व | 1692.74 | 1284.73 |
| | पूंजीगत | 8.26 | 4.09 |
| 44 | **पशुपालन और डेयरी** | **3913.93** | **3199.10** |
| | राजस्व | 3727.22 | 3024.43 |
| | पूंजीगत | 186.71 | 174.67 |
| 45 | **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** | **2911.95** | **2262.69** |
| | राजस्व | 2909.64 | 2260.77 |
| | पूंजीगत | 2.31 | 1.92 |
| 46 | **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** | **77624.79** | **80292.01** |
| | राजस्व | 74915.43 | 78294.61 |
| | पूंजीगत | 2709.36 | 1997.40 |
| 47 | **स्वास्थ्य अनुसंधान** | **2892.83** | **2857.48** |
| | राजस्व | 2892.03 | 2857.37 |
| | पूंजीगत | 0.80 | 0.11 |
| 48 | **भारी उद्योग** | **6391.51** | **4674.42** |
| | राजस्व | 6389.32 | 4672.49 |
| | पूंजीगत | 2.19 | 1.93 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 49 | **गृह मंत्रालय** | **5120.78** | **5066.04** |
| | राजस्व | 4575.13 | 4532.53 |
| | पूंजीगत | 545.65 | 533.51 |
| 50 | **मंत्रिमंडल** | **1803.01** | **1046.76** |
| | राजस्व | 1251.67 | 880.98 |
| | पूंजीगत | 551.34 | 165.78 |
| 51 | **पुलिस** | **126435.82** | **124715.05** |
| | राजस्व | 116390.79 | 114976.53 |
| | पूंजीगत | 10045.03 | 9738.52 |
| 52 | **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | **5937.42** | **5871.14** |
| | राजस्व | 5446.79 | 5431.48 |
| | पूंजीगत | 490.63 | 439.66 |
| 53 | **चंडीगढ़** | **5817.45** | **5872.13** |
| | राजस्व | 5429.42 | 5447.94 |
| | पूंजीगत | 388.03 | 424.19 |
| 54 | **दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव** | **2536.61** | **2500.48** |
| | राजस्व | 1588.47 | 1589.67 |
| | पूंजीगत | 948.14 | 910.81 |
| 55 | **लद्दाख** | **4500.00** | **4300.29** |
| | राजस्व | 2400.00 | 2201.38 |
| | पूंजीगत | 2100.00 | 2098.91 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 56 | **लक्षद्वीप** | **1575.88** | **1555.84** |
| | राजस्व | 1297.76 | 1302.61 |
| | पूंजीगत | 278.12 | 253.23 |
| 57 | **दिल्ली को अंतरण** | **1168.01** | **951.00** |
| | राजस्व | 1168.00 | 951.00 |
| | पूंजीगत | 0.01 | 0.00 |
| 58 | **जम्मू और कश्मीर और अंतरण** | **41751.44** | **41604.44** |
| | राजस्व | 41751.44 | 41604.44 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 59 | **पुदुचेरी को अंतरण** | **3388.77** | **3388.75** |
| | राजस्व | 3388.76 | 3388.75 |
| | पूंजीगत | 0.01 | 0.00 |
| 60 | **आवासन और शहरी कार्य** | **69270.72** | **68564.89** |
| | राजस्व | 42737.28 | 42123.77 |
| | पूंजीगत | 26533.44 | 26441.12 |
| 61 | **सूचना और प्रसारण** | **4449.76** | **4310.61** |
| | राजस्व | 4410.92 | 4273.06 |
| | पूंजीगत | 38.84 | 37.55 |
| 62 | **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण** | **19516.92** | **18538.83** |
| | राजस्व | 19191.99 | 18310.26 |
| | पूंजीगत | 324.93 | 228.57 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 63 | **पेयजल और स्वच्छता** | **77032.65** | **76570.13** |
| | राजस्व | 77031.05 | 76567.56 |
| | पूंजीगत | 1.60 | 2.57 |
| 64 | **श्रम और रोजगार** | **12521.06** | **11385.62** |
| | राजस्व | 12483.19 | 11354.18 |
| | पूंजीगत | 37.87 | 31.44 |
| 65 | **विधि और न्याय** | **8490.24** | **8276.79** |
| | राजस्व | 5927.39 | 5833.69 |
| | पूंजीगत | 2562.85 | 2443.10 |
| 66 | **निर्वाचन आयोग** | **466.04** | **438.05** |
| | राजस्व | 385.67 | 365.29 |
| | पूंजीगत | 80.37 | 72.76 |
| 67 | **भारत का उच्चतम न्यायालय** | **517.28** | **514.00** |
| | राजस्व | 459.28 | 456.00 |
| | पूंजीगत | 58.00 | 58.00 |
| 68 | **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** | **22137.95** | **21783.27** |
| | राजस्व | 21543.28 | 21189.01 |
| | पूंजीगत | 594.67 | 594.26 |
| 69 | **खान** | **2836.52** | **2816.16** |
| | राजस्व | 2759.40 | 2740.51 |
| | पूंजीगत | 77.12 | 75.65 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 70 | **अल्पसंख्यक कार्य** | **2608.93** | **154.18** |
| | राजस्व | 2543.93 | 91.80 |
| | पूंजीगत | 65.00 | 62.38 |
| 71 | **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** | **7848.00** | **7928.90** |
| | राजस्व | 7833.00 | 7918.03 |
| | पूंजीगत | 15.00 | 10.87 |
| 72 | **पंचायती राज** | **984.00** | **980.49** |
| | राजस्व | 981.39 | 977.95 |
| | पूंजीगत | 2.61 | 2.54 |
| 73 | **संसदीय कार्य** | **63.00** | **58.70** |
| | राजस्व | 56.93 | 52.63 |
| | पूंजीगत | 6.07 | 6.07 |
| 74 | **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन** | **2493.70** | **2352.56** |
| | राजस्व | 2158.76 | 2140.54 |
| | पूंजीगत | 334.94 | 212.02 |
| 75 | **केन्द्रीय सतर्कता आयोग** | **47.73** | **44.59** |
| | राजस्व | 46.48 | 43.47 |
| | पूंजीगत | 1.25 | 1.12 |
| 76 | **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** | **14757.01** | **14328.30** |
| | राजस्व | 14716.98 | 14287.53 |
| | पूंजीगत | 40.03 | 40.77 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 77 | **योजना** | **514.19** | **287.90** |
| | राजस्व | 496.76 | 281.91 |
| | पूंजीगत | 17.43 | 5.99 |
| 78 | **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** | **2395.12** | **2230.63** |
| | राजस्व | 1228.67 | 1082.00 |
| | पूंजीगत | 1166.45 | 1148.63 |
| 79 | **विद्युत** | **17635.00** | **16326.61** |
| | राजस्व | 17510.53 | 16201.69 |
| | पूंजीगत | 124.47 | 124.92 |
| 80 | **राष्ट्रपति का सचिवालय** | **97.69** | **93.46** |
| | राजस्व | 93.04 | 89.38 |
| | पूंजीगत | 4.65 | 4.08 |
| 81 | **लोक सभा** | **788.65** | **710.78** |
| | राजस्व | 757.46 | 690.68 |
| | पूंजीगत | 31.19 | 20.10 |
| 82 | **राज्य सभा** | **421.86** | **401.44** |
| | राजस्व | 408.59 | 391.80 |
| | पूंजीगत | 13.27 | 9.64 |
| 83 | **सचिवालय - उप-राष्ट्रपति** | **9.96** | **9.21** |
| | राजस्व | 9.60 | 8.91 |
| | पूंजीगत | 0.36 | 0.30 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 84 | **संघ लोक सेवा आयोग** | **426.24** | **421.11** |
| | राजस्व | 408.70 | 404.28 |
| | पूंजीगत | 17.54 | 16.83 |
| 85 | **रेलवे** | **243271.84** | **245791.30** |
| | राजस्व | 3271.84 | 3212.67 |
| | पूंजीगत | 240000.00 | 242578.63 |
| 86 | **सड़क परिवहन और राजमार्ग** | **276351.45** | **275985.72** |
| | राजस्व | 11825.92 | 12073.72 |
| | पूंजीगत | 264525.53 | 263912.00 |
| 87 | **ग्रामीण विकास** | **171069.46** | **161931.60** |
| | राजस्व | 171065.82 | 161929.44 |
| | पूंजीगत | 3.64 | 2.16 |
| 88 | **भू-संसाधन** | **1898.04** | **1710.89** |
| | राजस्व | 1896.78 | 1709.73 |
| | पूंजीगत | 1.26 | 1.16 |
| 89 | **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** | **4891.78** | **4002.67** |
| | राजस्व | 4850.39 | 3962.54 |
| | पूंजीगत | 41.39 | 40.13 |
| 90 | **जैव प्रौद्योगिकी** | **1607.32** | **1467.35** |
| | राजस्व | 1607.32 | 1467.35 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 91 | **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान** | **6202.53** | **6088.57** |
| | राजस्व | 6189.51 | 6077.82 |
| | पूंजीगत | 13.02 | 10.75 |
| 92 | **कौशल विकास एवं उद्यमिता** | **3260.18** | **2982.16** |
| | राजस्व | 3160.94 | 2893.09 |
| | पूंजीगत | 99.24 | 89.07 |
| 93 | **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** | **9853.32** | **8561.37** |
| | राजस्व | 9772.39 | 8483.18 |
| | पूंजीगत | 80.93 | 78.19 |
| 94 | **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** | **1225.01** | **1142.24** |
| | राजस्व | 1223.96 | 1141.28 |
| | पूंजीगत | 1.05 | 0.96 |
| 95 | **अंतरिक्ष** | **11070.07** | **10704.06** |
| | राजस्व | 6634.17 | 6307.32 |
| | पूंजीगत | 4435.90 | 4396.74 |
| 96 | **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** | **3961.01** | **2467.90** |
| | राजस्व | 3928.23 | 2448.55 |
| | पूंजीगत | 32.78 | 19.35 |
| 97 | **इस्पात** | **54.55** | **51.87** |
| | राजस्व | 53.02 | 50.42 |
| | पूंजीगत | 1.53 | 1.45 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
| 98 | **वस्त्र** | **3443.09** | **3015.23** |
| | राजस्व | 3424.53 | 2998.62 |
| | पूंजीगत | 18.56 | 16.61 |
| 99 | **पर्यटन** | **1692.10** | **801.88** |
| | राजस्व | 1692.10 | 801.88 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 100 | **जनजातीय कार्य** | **7605.00** | **7511.64** |
| | राजस्व | 7588.48 | 7495.26 |
| | पूंजीगत | 16.52 | 16.38 |
| 101 | **महिला एवं बाल विकास** | **25448.68** | **24695.55** |
| | राजस्व | 25437.60 | 24687.07 |
| | पूंजीगत | 11.08 | 8.48 |
| 102 | **युवा मामले और खेल** | **3396.96** | **2982.61** |
| | राजस्व | 3392.90 | 2980.10 |
| | पूंजीगत | 4.06 | 2.51 |
| | ***केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग*** | | |
| | ***कुल*** | ***4490485.57*** | ***4443447.29*** |
| | ***राजस्व*** | ***3540239.27*** | ***3494252.08*** |
| | ***पूंजीगत*** | ***950246.30*** | ***949195.21*** |

परिशिष्ट-9

# ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा

(₹ करोड़)

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| मार्च, 2025 तक परिपक्वता | 361053.13 |
| 2025-2026 में परिपक्वता | 506872.27 |
| 2026-2027 में परिपक्वता | 713592.75 |
| 2027-2028 में परिपक्वता | 602176.77 |
| 2028-2029 में परिपक्वता | 486755.64 |
| 2029-2030 में परिपक्वता | 526121.78 |
| 2030-2031 में परिपक्वता | 895423.56 |
| 2031-2032 में परिपक्वता | 562084.53 |
| 2032-2033 में परिपक्वता | 666020.56 |
| 2033-2034 में परिपक्वता | 686214.52 |
| 2034-2035 में परिपक्वता | 416168.30 |
| 2035-2036 में परिपक्वता | 527401.34 |
| 2036-2037 में परिपक्वता | 373534.69 |
| 2038-2039 में परिपक्वता | 223150.90 |
| 2039-2040 में परिपक्वता | 93015.68 |
| 2041-2042 में परिपक्वता | 91771.39 |
| 2042-2043 में परिपक्वता | 105699.94 |
| 2043-2044 में परिपक्वता | 117836.41 |
| 2044-2045 में परिपक्वता | 97772.51 |
| 2045-2046 में परिपक्वता | 98000.00 |
| 2046-2047 में परिपक्वता | 101592.30 |
| 2049-2050 में परिपक्वता | 84540.31 |
| 2050-2051 में परिपक्वता | 251858.14 |
| 2051-2052 में परिपक्वता | 203958.23 |
| 2052-2053 में परिपक्वता | 161000.00 |
| 2053-2054 में परिपक्वता | 158000.00 |
| 2055-2056 में परिपक्वता | 100969.24 |
| 2059-2060 में परिपक्वता | 83461.95 |
| 2060-2061 में परिपक्वता | 352713.31 |
| 2061-2062 में परिपक्वता | 149559.87 |
| 2062-2063 में परिपक्वता | 156549.03 |
| 2063-2064 में परिपक्वता | 228000.00 |
| 2073-2074 में परिपक्वता | 30000.00 |
| **कुल** | **10212869.08** |

परिशिष्ट-10

# वर्ष 2023-24 के लिए ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 1 | कृषि और किसान कल्याण विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 216357.90 | | 203249.75 | | 13108.15 | |
| 3 | परमाणु ऊर्जा | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 19529.70 | 17975.35 | 18778.65 | 17107.30 | 751.05 | 868.05 |
| 4 | आयुष मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3641.60 | | 2912.59 | | 729.01 | |
| 7 | औषण विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3223.13 | | 2431.65 | | 791.48 | |
| 8 | नागर विमानन मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3026.72 | | 2002.22 | | 1024.50 | |
| 11 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 6549.01 | | 4706.17 | | 1842.84 | |
| 13 | दूरसंचार विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 41461.45 | 75099.44 | 33063.03 | 62455.73 | 8398.42 | 12643.71 |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 221742.46 | 25201.93 | 221336.67 | 22994.16 | 405.79 | 2207.77 |
| 16 | सहकारिता मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 1149.42 | | 687.67 | | 461.75 | |
| 17 | कारपोरेट कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 734.19 | | 573.06 | | 161.13 | |
| 18 | संस्कृति मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | | 285.43 | | 63.49 | | 221.94 |

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 19 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 41476.95 | 10976.75 | 40829.24 | 10762.79 | 647.71 | 213.96 |
| 23 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 1798.76 | 4093.27 | 864.56 | 1112.20 | 934.20 | 2981.07 |
| 24 | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2650.59 | 673.84 | 2259.12 | 150.33 | 391.47 | 523.51 |
| 25 | स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 108473.22 | 0.65 | 103325.02 | | 5148.20 | |
| 26 | उच्चतर शिक्षा विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 63231.98 | | 61930.32 | | 1301.66 | |
| 27 | इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 16180.38 | | 12457.46 | | 3722.92 | |
| 28 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3794.94 | | 3444.26 | | 350.68 | |
| 29 | विदेश मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 11033.95 | | 10159.76 | | 874.19 | |
| 30 | आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 13347.55 | 15067.48 | 13006.86 | 14559.77 | 340.69 | 507.71 |
| 32 | वित्तीय सेवाएं विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4090.03 | | 3969.15 | | 120.88 | |
| 35 | राजस्व विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 190135.79 | | 190017.07 | | 118.72 | |
| 36 | प्रत्यक्ष कर | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 8818.29 | 1610.03 | 8658.64 | 1182.10 | 159.65 | 427.93 |
| 37 | अप्रत्यक्ष कर | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 36305.59 | 2207.68 | 33072.56 | 1577.32 | 3233.03 | 630.36 |

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| *39* | *विनियोग-ब्याज अदायगियां* | | | | | | |
| | ***प्रभारित*** | *1113971.00* | | *1102514.13* | | *11456.87* | |
| *40* | *विनियोग - ऋण की पुर्नअदायगी* | | | | | | |
| | ***प्रभारित*** | | *8948452.71* | | *7462491.34* | | *1485961.37* |
| 41 | पेंशन | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 75301.00 | | 75058.07 | | 242.93 | |
| 42 | राज्यों को अंतरण | | | | | | |
| | ***प्रभारित*** | *165480.00* | | *148521.91* | | *16958.09* | |
| | **स्वीकृत** | 39340.03 | 128000.02 | 27022.54 | 109554.30 | 12317.49 | 18445.72 |
| 43 | मत्स्य पालन विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2228.39 | | 1329.20 | | 899.19 | |
| 44 | पशुपालन और डेयरी विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4649.13 | | 3310.83 | | 1338.30 | |
| 45 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4030.22 | | 2197.59 | | 1832.63 | |
| 46 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 99382.77 | 5300.40 | 93534.56 | 2026.45 | 5848.21 | 3273.95 |
| 47 | स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2979.22 | | 2857.37 | | 121.85 | |
| 48 | भारी उद्योग मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 6389.53 | | 4911.34 | | 1478.19 | |
| 49 | गृह मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 5472.54 | 680.27 | 4586.03 | 533.51 | 886.51 | 146.76 |
| 50 | मंत्रिमंडल | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 1251.67 | 551.34 | 896.66 | 165.78 | 355.01 | 385.56 |

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 51 | पुलिस | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 118214.07 | 11839.32 | 116142.83 | 9857.78 | 2071.24 | 1981.54 |
| 52 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | | 551.51 | | 440.61 | | 110.90 |
| 55 | लद्दाख | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2818.42 | 3149.99 | 2248.57 | 2107.13 | 569.85 | 1042.86 |
| 57 | दिल्ली को अंतरण | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 1168.00 | | 951.00 | | 217.00 | |
| 58 | जम्मू और कश्मीर को अंतरण | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 41751.44 | | 41604.44 | | 147.00 | |
| 60 | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 50474.70 | 30268.08 | 42342.19 | 30009.46 | 8132.51 | 258.62 |
| 61 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4661.21 | | 4276.68 | | 384.53 | |
| 62 | जल संसाधन और नदी विकास विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 23654.12 | 380.50 | 23158.92 | 228.59 | 495.20 | 151.91 |
| 63 | पेयजल और स्वच्छता विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 77221.83 | | 76824.18 | | 397.65 | |
| 64 | श्रम और रोजगार मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 13183.88 | | 11508.18 | | 1675.70 | |
| 65 | विधि और न्याय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | | 2562.86 | | 2443.10 | | 119.76 |
| 70 | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3032.60 | | 970.26 | | 2062.34 | |
| 71 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 17717.82 | | 12583.94 | | 5133.88 | |

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 76 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 14715.59 | 35509.00 | 14287.53 | 2980.44 | 428.06 | 32528.57 |
| 77 | योजना मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 805.73 | | 284.83 | | 520.90 | |
| 79 | विद्युत मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 21824.54 | | 17704.41 | | 4120.13 | |
| 86 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 23528.24 | 321293.82 | 23222.00 | 321051.06 | 306.24 | 242.76 |
| 87 | ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 274065.82 | | 265373.83 | | 8691.99 | |
| 88 | भू-संसाधन विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3618.94 | | 3481.67 | | 137.27 | |
| 89 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 7843.97 | | 4072.98 | | 3770.99 | |
| 90 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2683.88 | | 1537.81 | | 1146.07 | |
| 91 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 6189.51 | | 4655.69 | | 1533.82 | |
| 92 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4894.29 | | 4391.19 | | 503.10 | |
| 93 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 13117.12 | | 9501.78 | | 3615.34 | |
| 95 | अंतरिक्ष विभाग | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 6772.83 | 6356.43 | 6320.09 | 4406.59 | 452.74 | 1949.84 |

| अनुदान संख्या | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 96 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 5409.93 | | 2450.13 | | 2959.80 | |
| 98 | वस्त्र मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 4362.58 | | 3042.62 | | 1319.96 | |
| 99 | पर्यटन मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 2400.00 | | 810.14 | | 1589.86 | |
| 100 | जनजातीय कार्य मंत्रालय | | | | | | |
| | ***प्रभारित*** | *4905.92* | | *3820.89* | | *1085.03* | |
| | **स्वीकृत** | 7509.08 | | 3707.96 | | 3801.12 | |
| 101 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 25943.74 | | 25509.98 | | 433.76 | |
| 102 | युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | | | | | | |
| | **स्वीकृत** | 3393.28 | | 3021.52 | | 371.76 | |

परिशिष्ट-11

# 2023-24 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ हजार)

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 216357,90,00 | 87,72,00 | 203249,74,59 | 40,58,31 | 13108,15,41 | 47,13,69 | .. | .. |
| 2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *4,00,00* | .. | *4,00,00* | .. | .. | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 9862,65,00 | 10,41,00 | 9797,00,18 | 3,38,94 | 65,64,82 | 7,02,06 | .. | .. |
| 3 परमाणु ऊर्जा | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *1,00,00* | .. | *78* | .. | *99,22* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 19529,70,00 | 17975,35,00 | 18778,65,38 | 17107,30,08 | 751,04,62 | 868,04,92 | .. | .. |
| 4 आयुष मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3641,60,00 | 5,94,00 | 2912,58,55 | 3,72,17 | 729,01,45 | 2,21,83 | .. | .. |
| 5 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 276,81,00 | 400,85,00 | 178,23,71 | 400,62,94 | 98,57,29 | 22,06 | .. | .. |
| 6 उर्वरक विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 195476,62,00 | 2,69,00 | 195465,09,62 | 1,62,05 | 11,52,38 | 1,06,95 | .. | .. |
| 7 औषध विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3223,13,00 | 1,20,00 | 2431,64,67 | 79,76 | 791,48,33 | 40,24 | .. | .. |
| 8 नागर विमानन मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3026,72,00 | 771,84,00 | 2002,22,26 | 755,17,70 | 1024,49,74 | 16,66,30 | .. | .. |
| 9 कोयला मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 640,77,00 | 1,55,00 | 603,52,54 | 1,41,99 | 37,24,46 | 13,01 | .. | .. |
| 10 वाणिज्य विभाग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *50,00* | .. | .. | .. | *50,00* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 6020,81,00 | 38,15,00 | 6005,51,68 | 27,28,55 | 15,29,32 | 10,86,45 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 6549,01,00 | 1662,32,00 | 4706,16,67 | 1655,88,64 | 1842,84,33 | 6,43,36 | .. | .. |
| 13 दूरसंचार विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 41461,45,00 | 75099,44,00 | 33067,18,90 | 62455,72,82 | 8394,26,10 | 12643,71,18 | .. | .. |
| 14 उपभोक्ता मामले विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 295,85,00 | 50,41,00 | 262,92,66 | 48,64,82 | 32,92,34 | 1,76,18 | .. | .. |
| 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 221742,46,00 | 25201,93,00 | 221336,66,62 | 22994,16,09 | 405,79,38 | 2207,76,91 | .. | .. |
| 16 सहकारिता मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1149,42,00 | 1,50,00 | 687,66,68 | 1,21,22 | 461,75,32 | 28,78 | .. | .. |
| 17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 734,19,00 | 42,00,00 | 573,06,40 | 37,72,78 | 161,12,60 | 4,27,22 | .. | .. |
| 18 संस्कृति मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3410,10,00 | 285,43,00 | 3343,41,21 | 63,48,70 | 66,68,79 | 221,94,30 | .. | .. |
| 19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *2,29,00* | *22,00,00* | *52,29* | *13,74,77* | *1,76,71* | *8,25,23* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 41476,95,00 | 10976,75,00 | 40829,23,93 | 10762,78,54 | 647,71,07 | 213,96,46 | .. | .. |
| 22 रक्षा पेंशन | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *1,88,00* | .. | *33,40* | .. | *1,54,60* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 142094,00,00 | .. | 142092,66,14 | .. | 1,33,86 | .. | .. | .. |
| 23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1798,76,00 | 4093,27,00 | 864,56,02 | 1112,19,56 | 934,19,98 | 2981,07,44 | .. | .. |
| 24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2650,59,00 | 673,84,00 | 2259,11,77 | 150,33,09 | 391,47,23 | 523,50,91 | .. | .. |

*अनुदान सं. 12 डाक सेवाओं से संबंधित है जिसके लिए विनियोग लेखे का संकलन अलग खंड में किया गया हैं।

*अनुदान सं. 20 और 21 रक्षा सेवाओं से संबंधित हैं जिसके लिए विनियोग लेखे अलग खंड में संकलित किए जाते हैं।

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 108473,22,00 | 65,00 | 103325,01,67 | 44,55 | 5148,20,33 | 20,45 | .. | .. |
| 26 उच्चतर शिक्षा विभाग | | | | | | | | .. |
| **स्वीकृत** | 63231,98,00 | 12,52,00 | 61933,78,80 | 7,32,01 | 1298,19,20 | 5,19,99 | .. | .. |
| 27 इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 16180,38,00 | 408,86,00 | 12457,45,65 | 389,63,01 | 3722,92,35 | 19,22,99 | .. | .. |
| 28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3794,94,00 | 145,41,00 | 3444,25,87 | 77,84,82 | 350,68,13 | 67,56,18 | .. | .. |
| 29 विदेश मंत्रालय | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *3,00* | .. | .. | .. | *3,00* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 27150,94,00 | 11033,95,00 | 27036,28,37 | 10159,76,46 | 114,65,63 | 874,18,54 | .. | .. |
| 30 आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 13347,55,00 | 15067,48,00 | 13006,86,27 | 14560,73,94 | 340,68,73 | 506,74,06 | .. | .. |
| 31 व्यय विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 389,26,00 | 128,10,00 | 380,68,22 | 48,55,65 | 8,57,78 | 79,54,35 | .. | .. |
| 32 वित्तीय सेवाएं विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4090,03,00 | 8591,85,00 | 3969,14,77 | 8588,40,77 | 120,88,23 | 3,44,23 | .. | .. |
| 33 लोक उद्यम विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 32,15,00 | 2,60,00 | 28,08,30 | 2,57,44 | 4,06,70 | 2,56 | .. | .. |
| 34 निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 93,46,00 | 1,46,00 | 52,29,62 | 1,22,98 | 41,16,38 | 23,02 | .. | .. |
| 35 राजस्व विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 190135,79,00 | 306,76,00 | 190017,06,88 | 260,39,52 | 118,72,12 | 46,36,48 | .. | .. |
| 36 प्रत्यक्ष कर | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 8818,29,00 | 1610,03,00 | 8658,63,67 | 1182,10,28 | 159,65,33 | 427,92,72 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 37 अप्रत्यक्ष कर | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 36305,59,00 | 2207,68,00 | 33080,45,68 | 1577,32,47 | 3225,13,32 | 630,35,53 | .. | .. |
| 38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *330,46,00* | .. | *323,40,66* | .. | *7,05,34* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 5800,68,00 | 212,81,00 | 5780,35,68 | 178,04,01 | 20,32,32 | 34,76,99 | .. | .. |
| 39 विनियोग-ब्याज अदायगियां | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *1113971,00,00* | .. | *1102651,05,10* | .. | *11319,94,90* | .. | .. | .. |
| 40 विनियोग-ऋण की पुनर्अदायगी | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | .. | *8948452,71,00* | .. | *7462492,87,83* | .. | *1485959,83,17* | .. | .. |
| 41 पेंशन | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *400,00,00* | .. | *385,21,83* | .. | *14,78,17* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 75301,00,00 | .. | 75059,56,78 | .. | 241,43,22 | .. | .. | .. |
| 42 राज्यों को अंतरण | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *165480,00,00* | *29600,00,00* | *148521,90,70* | *31308,40,95* | *16958,09,30* | .. | .. | *1708,40,95 (1708409,50,00)* |
| **स्वीकृत** | 39340,03,00 | 128000,02,00 | 27022,54,37 | 109554,29,61 | 12317,48,63 | 18445,72,39 | .. | .. |
| 43 मत्स्यपालन विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2228,39,00 | 20,40,00 | 1329,19,78 | 4,08,72 | 899,19,22 | 16,31,28 | .. | .. |
| 44 पशुपालन और डेयरी विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4649,13,00 | 186,08,00 | 3310,83,21 | 174,66,77 | 1338,29,79 | 11,41,23 | .. | .. |
| 45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4030,22,00 | 2,47,00 | 2942,59,31 | 1,92,25 | 1087,62,69 | 54,75 | .. | .. |
| 46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 99382,77,00 | 5300,40,00 | 93534,56,40 | 2026,45,19 | 5848,20,60 | 3273,94,81 | .. | .. |
| 47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2979,22,00 | 80,00 | 2857,36,76 | 10,68 | 121,85,24 | 69,32 | .. | .. |
| 48 भारी उद्योग विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 6389,53,00 | 26,32,00 | 4911,34,49 | 1,92,99 | 1478,18,51 | 24,39,01 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 49 गृह मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 5472,54,00 | 680,27,00 | 4586,03,34 | 533,51,21 | 886,50,66 | 146,75,79 | .. | .. |
| 50 मंत्रिमंडल | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1251,67,00 | 551,34,00 | 883,07,87 | 165,78,12 | 368,59,13 | 385,55,88 | .. | .. |
| 51 पुलिस | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *12,50,00* | *6,47,00* | *8,79,89* | *1,08,30* | *3,70,11* | *5,38,70* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 118214,07,00 | 11839,32,00 | 116142,83,40 | 9857,77,87 | 2071,23,60 | 1981,54,13 | .. | .. |
| 52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *1,00* | .. | *81* | .. | *19* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 5548,86,00 | 551,51,00 | 5486,94,20 | 440,61,33 | 61,91,80 | 110,89,67 | .. | .. |
| 53 चंडीगढ़ | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *511,36,00* | *50,00,00* | *478,64,44* | *50,00,00* | *32,71,56* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 5504,06,00 | 712,12,00 | 5497,66,75 | 612,96,44 | 6,39,25 | 99,15,56 | .. | .. |
| 54 दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1595,54,00 | 948,28,00 | 1591,93,83 | 935,20,66 | 3,60,17 | 13,07,34 | .. | .. |
| 55 लद्दाख | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2818,42,00 | 3149,99,00 | 2248,56,63 | 2107,12,55 | 569,85,37 | 1042,86,45 | .. | .. |
| 56 लक्षद्वीप | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1343,43,00 | 285,52,00 | 1325,85,49 | 253,26,38 | 17,57,51 | 32,25,62 | .. | .. |
| 57 दिल्ली को अंतरण | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1168,00,00 | 1,00 | 951,00,00 | .. | 217,00,00 | 1,00 | .. | .. |
| 58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 41751,44,00 | .. | 41604,44,00 | .. | 147,00,00 | .. | .. | .. |
| 59 पुदुचेरी को अंतरण | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3388,76,00 | 1,00 | 3388,75,00 | .. | 1,00 | 1,00 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 60 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | | | | | | | | |
| *प्रभारित* | *137,72,00* | *42,32,00* | *134,71,74* | *40,93,75* | *3,00,26* | *1,38,25* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 50474,70,00 | 30268,08,00 | 42342,19,03 | 30009,45,51 | 8132,50,97 | 258,62,49 | .. | .. |
| 61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4661,21,00 | 38,84,00 | 4276,68,34 | 37,55,23 | 384,52,66 | 1,28,77 | .. | .. |
| 62 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 23654,12,00 | 380,50,00 | 23158,92,16 | 228,58,59 | 495,19,84 | 151,91,41 | .. | .. |
| 63 पेयजल और स्वच्छता विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 77221,83,00 | 2,60,00 | 76824,17,95 | 2,57,42 | 397,65,05 | 2,58 | .. | .. |
| 64 श्रम और रोजगार मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 13183,88,00 | 37,87,00 | 11508,17,95 | 31,44,37 | 1675,70,05 | 6,42,63 | .. | .. |
| 65 विधि और न्याय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 6127,43,00 | 2562,86,00 | 6050,30,38 | 2443,09,73 | 77,12,62 | 119,76,27 | .. | .. |
| 66 निर्वाचन आयोग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 385,67,00 | 80,37,00 | 366,33,95 | 72,75,74 | 19,33,05 | 7,61,26 | .. | .. |
| 67 विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय | | | | | | | | |
| *प्रभारित* | *459,28,00* | *58,00,00* | *455,99,93* | *58,00,00* | *3,28,07* | .. | .. | .. |
| 68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 21543,48,00 | 594,53,00 | 21499,90,71 | 59426,33 | 43,57,29 | 26,67 | .. | .. |
| 69 खान मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3055,91,00 | 77,13,00 | 3043,40,72 | 75,65,73 | 12,50,28 | 1,47,27 | .. | .. |
| 70 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3032,60,00 | 65,00,00 | 970,26,43 | 62,38,33 | 2062,33,57 | 2,61,67 | .. | .. |
| 71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 17717,82,00 | 17,15,00 | 12583,94,43 | 10,87,03 | 5133,87,57 | 6,27,97 | .. | .. |
| 72 पंचायती राज मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 993,27,00 | 23,15,00 | 977,95,38 | 2,53,55 | 15,31,62 | 20,61,45 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 73 संसदीय कार्य मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 59,00,00 | 6,07,00 | 52,63,05 | 6,07,00 | 6,36,95 | .. | .. | .. |
| 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *23,81,00* | *94,18,00* | *17,74,74* | *46,60,15* | *6,06,26* | *47,57,85* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 2170,58,00 | 245,26,00 | 2128,54,46 | 165,42,05 | 42,03,54 | 79,83,95 | .. | .. |
| 75 विनियोग-केन्द्रीय सतर्कता आयोग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *46,48,00* | *1,25,00* | *43,48,27* | *1,11,84* | *2,99,73* | *13,16* | .. | .. |
| 76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 14715,59,00 | 35509,00,00 | 14287,53,07 | 298043,50 | 428,05,93 | 32528,56,50 | .. | .. |
| 77 योजना मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 805,73,00 | 18,66,00 | 284,82,94 | 598,55 | 520,90,06 | 12,67,45 | .. | .. |
| 78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1627,38,00 | 1294,18,00 | 1540,33,21 | 124944,08 | 87,04,79 | 44,73,92 | .. | .. |
| 79 विद्युत मंत्रालय | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *10,00,00* | .. | .. | .. | *10,00,00* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 21824,54,00 | 1944,48,00 | 17704,41,45 | 194417,37 | 4120,12,55 | 30,63 | .. | .. |
| 80 विनियोग- राष्ट्रपति का कर्मचारी वृंद, गृह और भत्ते | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *93,04,00* | *4,65,00* | *90,16,22* | *4,08,40* | *2,87,78* | *56,60* | .. | .. |
| 81 लोक सभा | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *1,10,00* | .. | *37,45* | .. | *72,55* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 785,42,00 | 35,49,00 | 691,17,13 | 20,09,67 | 94,24,87 | 15,39,33 | .. | .. |
| 82 राज्य सभा | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *2,04,00* | .. | *1,69,74* | .. | *34,26* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 472,31,00 | 10,06,00 | 390,34,73 | 9,64,43 | 81,96,27 | 41,57 | .. | .. |
| 83 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 9,60,00 | 36,00 | 8,91,24 | 29,97 | 68,76 | 6,03 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 84 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *404,70,00* | *21,54,00* | *404,64,63* | *16,83,37* | *5,37* | *4,70,63* | .. | .. |
| 86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | .. | *5,00,00* | .. | *2,80,79* | .. | *2,19,21* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 23528,24,00 | 321293,82,00 | 23221,99,72 | 321043,02,92 | 306,24,28 | 250,79,08 | .. | .. |
| 87 ग्रामीण विकास विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 274065,82,00 | 3,64,00 | 265374,35,24 | 2,15,83 | 8691,46,76 | 1,48,17 | .. | .. |
| 88 भू-संसाधन विभाग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *17,42,00* | .. | *14,28,74* | .. | *3,13,26* | .. | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 3618,94,00 | 1,26,00 | 3481,93,29 | 1,16,39 | 137,00,71 | 9,61 | .. | .. |
| 89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 7843,97,00 | 88,31,00 | 4072,98,48 | 40,12,66 | 3770,98,52 | 48,18,34 | .. | .. |
| 90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2683,88,00 | .. | 1537,81,47 | .. | 1146,06,53 | .. | .. | .. |
| 91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 6189,51,00 | 13,02,00 | 6141,56,77 | 10,74,96 | 47,94,23 | 2,27,04 | .. | .. |
| 92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4894,29,00 | 99,25,00 | 4391,18,62 | 89,06,76 | 503,10,38 | 10,18,24 | .. | .. |
| 93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 13117,12,00 | 140,05,00 | 9501,78,43 | 78,19,40 | 3615,33,57 | 61,85,60 | .. | .. |
| 94 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 1224,11,00 | 1,06,00 | 1142,93,33 | 96,42 | 81,17,67 | 9,58 | .. | .. |
| 95 अंतरिक्ष विभाग | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *60,00* | *40,00* | *3,86* | *5,25* | *56,14* | *34,75* | .. | .. |
| **स्वीकृत** | 6772,83,00 | 6356,43,00 | 6320,08,99 | 4406,59,47 | 452,74,01 | 949,83,53 | .. | .. |

*अनुदान सं. 85 रेलवे से संबंधित है जिसके लिए विनियोग लेखे अलग खंड में संकलित किए जाते हैं।

| अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 5409,93,00 | 33,48,00 | 2450,13,05 | 19,35,27 | 2959,79,95 | 14,12,73 | . . | . . |
| 97 इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 67,99,00 | 2,17,00 | 50,41,92 | 1,45,37 | 17,57,08 | 71,63 | . . | . . |
| 98 वस्त्र मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 4362,58,00 | 26,83,00 | 3042,61,60 | 16,60,50 | 1319,96,40 | 10,22,50 | . . | . . |
| 99 पर्यटन मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 2400,00,00 | . . | 810,13,63 | . . | 1589,86,37 | . . | . . | . . |
| 100 जनजातीय कार्य मंत्रलाय | | | | | | | | |
| ***प्रभारित*** | *4905,92,00* | . . | *3820,88,94* | . . | *1085,03,06* | . . | . . | . . |
| **स्वीकृत** | 7509,08,00 | 46,94,00 | 3707,96,07 | 16,37,54 | 3801,11,93 | 30,56,46 | . . | . . |
| 101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 25943,74,00 | 11,08,00 | 25509,97,59 | 8,47,67 | 433,76,41 | 2,60,33 | . . | . . |
| 102 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | | | | | | | | |
| **स्वीकृत** | 3393,28,00 | 7,76,00 | 3021,52,46 | 2,51,38 | 371,75,54 | 5,24,62 | . . | . . |
| **कुल** ***प्रभारित*** | ***1286817,14,00*** | ***8978358,52,00*** | ***1257357,94,16*** | ***7494036,55,40*** | ***29459,19,84*** | ***1486030,37,55*** | . . | ***1708,40,95*** *(1708409,50,00)* |
| **स्वीकृत** | **2479168,21,00** | **730704,35,00** | **2353762,80,61** | **647017,74,15** | **125405,40,39** | **83686,60,85** | . . | . . |

परिशिष्ट-12

# वर्ष 2023-24 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़)

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 01 | वेतन | 1,46,871.76 | 177.65 | 1,47,049.41 |
| 02 | दिहाड़ी | 1,933.17 | 1.29 | 1,934.46 |
| 04 | पेंशन प्रभार | 3,12,489.73 | 0.00 | 3,12,489.73 |
| 05 | पुरस्कार | 4,555.73 | 40.09 | 4,595.83 |
| 06 | चिकित्सा उपचार | 8,390.09 | 27.85 | 8,417.94 |
| 07 | भत्ते | 1,27,391.82 | 93.65 | 1,27,485.47 |
| 08 | छुट्टी यात्रा रियायत | 618.72 | 1.42 | 620.14 |
| 09 | प्रशिक्षण व्यय | 343.00 | 0.09 | 343.10 |
| 11 | घरेलू यात्रा व्यय | 7,654.23 | 14.91 | 7,669.14 |
| 12 | विदेश यात्रा व्यय | 582.69 | 2.30 | 584.99 |
| 13 | कार्यालय व्यय | 15,366.17 | 50.71 | 15,416.88 |
| 14 | भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और कर | 4,419.50 | 2.34 | 4,421.84 |
| 15 | रॉयल्टी | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 16 | मुद्रण एवं प्रकाशन | 1,062.12 | 0.06 | 1,062.18 |
| 18 | अन्यों के लिए किराया | 2,343.42 | 3.42 | 2,346.84 |
| 19 | डिजिटल उपकरण | 799.17 | 3.41 | 802.58 |
| 21 | सामग्री और आपूर्तियां | 69,010.49 | 2,989.25 | 71,999.74 |
| 22 | हथियार और गोला बारूद | 481.64 | 0.00 | 481.64 |
| 23 | राशन की लागत | 1,630.25 | 0.00 | 1,630.25 |
| 24 | ईंधन और स्नेहक | 40,071.03 | 2.01 | 40,073.03 |
| 26 | विज्ञापन और प्रचार | 2,595.55 | 10.62 | 2,606.17 |

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 27 | लघु सिविल एवं विद्युत कार्य | 4,643.59 | 32.29 | 4,675.88 |
| 28 | व्यावसायिक सेवाएं | 13,697.35 | 436.03 | 14,133.38 |
| 29 | मरम्मत और रखरखाव | 5,666.08 | 87.89 | 5,753.98 |
| 31 | सहायता अनुदान सामान्य | 5,87,462.61 | 0.28 | 5,87,462.89 |
| 32 | अंशदान | 29,366.81 | 947.65 | 30,314.46 |
| 33 | सहायिकी | 4,68,049.19 | 0.00 | 4,68,049.19 |
| 34 | छात्रवृत्तियां | 8,796.79 | 0.00 | 8,796.79 |
| 35 | पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए अनुदान | 3,03,915.56 | 0.00 | 3,03,915.56 |
| 36 | सहायता अनुदान वेतन | 55,640.30 | 6.97 | 55,647.26 |
| 37 | सहायता सामग्री एवं उपकरण | 219.46 | 0.00 | 219.46 |
| 39 | बैंक और एजेंसी शुल्क | 590.86 | 0.00 | 590.86 |
| 40 | पुरस्कार एवं पारितोषिक | 100.40 | 0.00 | 100.40 |
| 41 | गोपनीय सेवा व्यय | 417.58 | 0.00 | 417.58 |
| 43 | उचंत | 69.82 | 2,409.17 | 2,479.00 |
| 45 | ब्याज भुगतान | 11,05,919.27 | 0.00 | 11,05,919.27 |
| 49 | अन्य राजस्व व्यय | 58,879.11 | 1.66 | 58,880.77 |
| 51 | मोटर वाहन | 0.01 | 1,721.40 | 1,721.41 |
| 52 | मशीनरी और उपकरण | 0.03 | 27,411.17 | 27,411.21 |
| 54 | निवेश | 0.00 | 2,87,368.79 | 2,87,368.79 |
| 55 | ऋण तथा अग्रिम | 0.00 | 1,99,456.38 | 1,99,456.38 |
| 56 | उधार की पुनर्अदायगी | 0.00 | 74,62,492.88 | 74,62,492.88 |
| 57 | अभिदान | 0.00 | 7,309.99 | 7,309.99 |
| 60 | अन्य पूंजीगत व्यय | 0.00 | 83,036.84 | 83,036.84 |

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 61 | मूल्यह्रास | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | आरक्षित | 3,431.05 | 0.00 | 3,431.05 |
| 63 | अंतर लेखा अंतरण | 5,13,931.66 | 61,329.13 | 5,75,260.79 |
| 64 | हानियां/बट्टे खाते डालना | 179.44 | 46.09 | 225.53 |
| 70 | घटाएं वसूलियां | -3,53,244.23 | -78,361.73 | -4,31,605.96 |
| 71 | सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आइसीटी) उपकरण | 0.42 | 5,098.68 | 5,099.11 |
| 72 | भवन एवं संरचनाएँ | 0.00 | 26,290.41 | 26,290.41 |
| 73 | बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियां | 0.00 | 2,06,464.51 | 2,06,464.51 |
| 74 | फर्नीचर एवं फिक्सर | 0.04 | 334.22 | 334.26 |
| 75 | हथियार और गोला बारूद (पूंजीगत) | 0.00 | 148.26 | 148.26 |
| 76 | विरासत परिसंपत्तियों का उन्नयन, खरीद और एन.ई.सी. | 0.00 | 16.80 | 16.80 |
| 77 | अन्य अचल सम्पत्तियाँ | 0.00 | 58.25 | 58.25 |
| 78 | भूमि | 0.00 | 9,161.35 | 9,161.35 |
| 80 | अमूर्त संपत्तियाँ | 0.00 | 3.14 | 3.14 |
| **कुल** | | **35,56,343.75** | **83,06,729.56** | **1,18,63,073.31** |
| **वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा दर्ज किया गया व्यय** | | | | |
| रेलवे | | 0.00 | -2.97 | -2.97 |
| रक्षा | | 2,97,738.47 | 1,54,256.28 | 4,51,994.74 |
| संघ राज्य क्षेत्र सहित सिविल विभाग | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | | **2,97,738.47** | **1,54,253.30** | **4,51,991.77** |
| आकस्मिकता निधि/अवर्गीकृत से भुगतान | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल जोड़** | | **38,54,082.21** | **84,60,982.86** | **1,23,15,065.07** |

egkys[kk fu;a=d
foÙk ea=ky;
Hkkjr ljdkj
महालेखा नियंत्रक भवन
जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक–ई, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
फोन : +91–11–24665581, फैक्स : +91–11–24665576
वेबसाइट : **www.cga.nic.in, https://pfms.nic.in**